

58वीं वार्षिक रिपोर्ट 58th Annual Report 2013-14



दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)

58वीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-14

58th Annual Report 2013-14

**अनुक्रमाणिका
CONTENTS**

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	:	2
सूचना/Notice	:	5
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	:	6
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	:	38
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी Comments of the Comptroller and Auditor General of India	:	49 50
तुलन-पत्र/Balance Sheet	:	51
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	:	53
अनुसूची 2 से 23/Note 2 to 23	:	55
लेखा विधि नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ जो लेखों का भाग हैं (अनुसूची - 1) Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts (Note-1)	:	75
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	:	89

निदेशक मंडल

श्री सुशील कुमार लोहानी, आई.ए.एस.

संयुक्त सचिव

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का

अतिरिक्त कार्यभार

(01.07.2014 से)

श्री सतीश चन्द्र, आई.ए.एस.

संयुक्त सचिव (पी एण्ड ए)

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार

(12.07.2012 से 01.07.2014 तक)

श्री सुशील पाल

निदेशक (एफ.ए.),

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार

(18.07.2013 से)

श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी,

निदेशक (एफ.ए.),

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार

(30.10.2008 से 18.07.2013 तक)

श्री एस. आनंदन

उप सचिव

उर्वरक विभाग,

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(08.08.2011 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Sushil Kumar Lohani, IAS,

Joint Secretary,

Deptt. of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional charge of Chairman &

Managing Director

(w.e.f. 01.07.2014)

Shri Satish Chandra, IAS,

Joint Secretary (P&A)

Deptt. of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional charge of Chairman & Managing Director

(From 12.07.2012 to 01.07.2014)

Shri Sushil Pal,

Director (FA),

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional charge of Director (Finance)

(w.e.f. 18.07.2013)

Smt. T.C.A. Kalyaani,

Director (FA),

Department of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

Additional charge of Director (Finance)

(From 30.10.2008 to 18.07.2013)

Shri S. Anandan,

Dy. Secretary,

Deptt. of Fertilizers,

Ministry of Chemicals & Fertilizers,

(w.e.f. 8.8.2011)

श्री विजय रंजन सिंह

निदेशक (एफ),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
(27.08.2012 से)

डॉ. प्रदीप कुमार

विशेष निदेशक (बी.आई.एफ.आर.)
(4.2.2011 से 19.08.2013 तक)

प्रमुख कार्यपालक

श्री विजय रंजन सिंह

निदेशक (एफ),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(27.08.2014 से)

श्री राजीव कुमार

उप सचिव (ए. एण्ड वी.),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(01.06.2012 से 30.06.2014 तक)

श्रीमती सिओन कोंगारी

कार्यवाहक महाप्रबंधक

श्री के. एल. राव

विशेष कार्य अधिकारी

मुख्य कार्यपालक - एकक

श्री ए. के. मिश्र

प्रभारी, महाप्रबंधक, पी डी आई एल,
एफ सी आई, सिन्दरी के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार

श्री इफान अहमद

कार्यवाहक महाप्रबंधक, तलचर

श्री जगदीश प्रसाद

प्रभारी, गोरखपुर

Shri Vijay Ranjan Singh,

Director (F),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f. 27.8.2012)

Dr. Pradeep Kumar,

Special Director, BIFR
(From 4.2.2011 to 19.08.2013)

PRINCIPAL EXECUTIVES

Shri Vijay Ranjan Singh,

Director (F),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 27.08.2014)

Shri Rajiva Kumar,

Dy. Secretary (A&V) ,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional charge of Chief Vigilance Officer
(From 1.6.2012 to 30.06.2014)

Smt. Sion Kongari,

Actg. General Manager

Shri K. L. Rao,

Officer on Special Duty

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

Shri A. K. Mishra,

Incharge, General Manager, PDIL
Additional charge of GM, FCIL, Sindri

Shri Irfan Ahmed,

Actg. General Manager, Talcher

Shri Jagdish Prasad,

Incharge, Gorakhpur

श्रीमती एम. वी. सीता

प्रभारी, रामागुण्डम

श्री आर. एल. देशभ्रतार

प्रभारी, कोरबा

एकक/कार्यालय

सिन्दरी एकक	- झारखण्ड
गोरखपुर एकक	- उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	- आन्ध्रप्रदेश
तलचर एकक	- ओडिसा
कोरबा प्रभाग	- छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	- नोएडा (यू.पी.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप काम्प्लेक्स, कोर - III
लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल भवन (पांचवीं मंजिल),
ए-14, सेक्टर-1, नोएडा,
जिला- गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश- 201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अंजली के. वर्मा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मैसर्स दिवान एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मैसर्स जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के.आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली

Smt. M.V. Sita,

Incharge, Ramagundam

Shri R.L. Deshbhratar,

Incharge, Korba

UNITS / OFFICES

Sindri Unit	- Jharkhand
Gorakhpur Unit	- Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	- Andhra Pradesh
Talcher Unit	- Odisha
Korba Division	- Chhatisgarh
Central Office	- NOIDA (U.P.)

REGISTERED OFFICE

7, Institutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-11 0 003

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1,
Distt. Gautam Budh Nagar,
NOIDA - 201 301 (U.P.)

AUDITORS

M/s. Ghosh Khanna & Co.,
Chartered Accountants, New Delhi.

BANKERS

State Bank of Patiala
State Bank of India
Union Bank of India
State Bank of Hyderabad

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata
M/s. Anjali K. Varma & Associates, Advocates, New Delhi
M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA
M/s. Dewan & Co., Advocates, Delhi
M/s. G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi
M/s. K.R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi
M/s. Saxena & Co., Advocates, Delhi

सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियों की 58वीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, 29 सितम्बर, 2014 को अपराह्न 12.30 बजे, कान्फ्रेंस रूम, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :—

1. “31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना”
2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :—

“भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित करना”

बोर्ड के आदेश से

ह०/-

(सुशील पाल)

दिनांक : 10.09.2014

निदेशक (वित्त)

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा अपने किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,

सभी शेयरधारी

प्रतिलिपि :-

1. मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार, एल-2ए,
हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Monday, 29th September, 2014 at 12.30 P.M. at the Conference Room, Department of Fertilizers, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business :—

1. "To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2014".
2. To consider, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :—

"Resolved that the remuneration payable to the Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2014-2015 be fixed by the Board of Directors of the Corporation."

By Order of the Board

Sd/-

(Sushil Pal)

Director (Finance)

Dated : 10.09.2014

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a Shareholder of the Company.

To,

All Shareholders

Copy to : -

1. M/s. Ghosh Khanna & Co.,
Chartered Accountants, L-2A,
Hauz Khas Enclave, New Delhi - 110016
2. Chairman, Audit Committee.

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 58वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष 2012-2013 के 10778.08 करोड़ रुपये की बही लाभ की तुलना में वर्ष 2013-2014 में 0.06 करोड़ रुपये का बही लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्रोत

3.1 शेयर पूंजी

एफ.सी.आई.एल. की अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड़ रुपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड़ रुपये को वर्ष 2012-13 में माफ कर दिया गया है।

वर्ष के अन्त तक ऋण एवं देय ब्याज की स्थिति इस प्रकार थी:

सार्वजनिक उपक्रमों/ वित्तीय संस्थाओं से

(रुपये करोड़ में)

	2013-14	2012-13
ऋण (सी.डब्ल्यू.सी.)	शून्य	1.50
वर्ष 2013-14 में सी.डब्ल्यू.सी. के 1.50 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान किया गया।		

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 58th Annual Report of the Company together with the audited accounts and the auditors' report for the year ended 31st March, 2014.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company incurred a book profit of Rs. 0.06 Crore in 2013-2014 as against a book profit of Rs. 10778.08 crore during 2012-2013.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs. 750.92 crore.

3.2 GOI LOAN & INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA, Government of India loan amounting to Rs. 2739.37 Crore and Interest on GOI loan amounting to Rs. 7904.47 Crore have been written-off during the year 2012-13.

The loan and interest payable position up to the year-end was as follows:

From Public Sector Undertakings/ Financial Institutions

(Rs./Crore)

	2013-14	2012-13
Loan (CWC)	Nil	1.50
CWC loan amounting to Rs. 1.50 Crore paid during the year 2013-14.		

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमाशुल्क, विद्युत शुल्क, के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 0.98 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ।

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है। लेकिन सी.सी.ई. ए. द्वारा एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार, वर्तमान में तीन इकाइयों का पुनरुज्जीवन हो रहा है।

7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और उन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। वहाँ कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs. 0.98 crore by way of Service tax, Sales tax, Excise duty, Income tax, Customs duty, Electricity duty to the Central and State exchequers during the year.

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year, due to the decision of the GOI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Govt's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activity is restricted to security arrangement and settlement of dues of employees. However, consequent upon the decision of CCEA, regarding revival of closed units of FCIL, three of the units are currently under revival.

7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi was closed and assets of these offices was disposed/ sent to other offices/units. There is no marketing activity.

8.0 कम्पनी का पुनरुज्जीवन

बी.आई.एफ.आर. के दिनांक 2.4.2004 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बन्द करने के सुझाव के कारण देश में यूरिया की माँग व पूर्ति में भारी अंतर को देखते हुये भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि बन्द पड़े खाद कारखानों को पुनरुज्जीवित करना आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जहाँ कि कम्पनी के मामले की सुनवाई हो रही थी, ने भारत सरकार के निर्णय को सराहते हुये कहा कि बन्द पड़े खाद कारखानों का तकनीकी-आर्थिक संभावना का अध्ययन करवाया जाये। पी.डी.आई.एल. ने इस संबंध में अध्ययन करके अपनी संभावना रिपोर्ट दे दी थी जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11.08.2006 को संज्ञान में लिया था।

- पूर्णतः उपलब्ध विकसित भूमि, जल, विद्युत तथा सभी एककों में उपलब्ध विशाल आधारभूत संरचना को देखते हुये एवं इसके अतिरिक्त देश के अंदर यूरिया की भारी माँग को पूरा करने के लिये एवं आयात की भारी कीमत को देखते हुये भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में यह निर्णय लिया:

“गैस की उपलब्धता की पुष्टि होने की स्थिति में ‘सिद्धान्त रूप’ में निर्णय लिया कि एफ.सी.आई.एल. और एच.एफ.सी.एल. के पुनरुज्जीवन के संभाव्यता की जाँच की जाये।”

- भारत सरकार ने सितम्बर 2008 में यूरिया सैक्टर के लिये नई निवेश नीति को मंजूरी दी।
- भारत सरकार ने अक्टूबर 2008 में एफ.सी.आई.एल./एच.एफ.सी.एल. की बन्द पड़ी सभी एककों के पुनरुज्जीवन की सभी संभावनाओं को जाँचने के लिये और भारत सरकार के विचारार्थ उचित सुझाव देने के लिये सचिवों की अधिकारिक समिति (ई.सी.ओ.एस.) का गठन किया था।

पुनरुज्जीवन की प्रगति

ई.सी.ओ.एस. की 5.12.2008, 24.8.2009, 2.8.2010, 3.3.2011 और 23.01.2013 को बैठकें हुईं। ई.सी.ओ.

8.0 REVIVAL OF THE COMPANY

Government of India felt that it is essential to revive the closed fertilizer units due to large demand supply gap of Urea in the country consequent to the recommendation of winding-up of the company by BIFR vide order dated 02.04.2004. The Hon'ble High Court of Delhi, where the Company Case was being examined, was apprised of the decision of Government of India to conduct a techno-economic feasibility study of the closed fertilizer plants. PDIL studied and gave its feasibility report, which was taken in cognizance by High Court of Delhi on 11.08.2006.

- Considering the availability of fully developed land along with water & power connectivity, huge infrastructure in all the units, apart from increase in domestic demand of urea and high cost of import to meet the domestic demand, Government of India decided in April 2007 as under:

"decided 'in principle' to examine the feasibility of reviving FCIL & HFCL, subject to the confirmed availability of gas."

- Government of India approved new investment policy for the Urea Sector in September 2008.
- Government of India constituted Empowered Committee of Secretaries (ECOS) in October 2008 with the mandate of evaluate all options of revival of closed units of FCIL/HFCL and to make suitable recommendations for consideration of the Government.

Progress of Revival

The ECOS met on 5.12.2008, 24.8.2009, 4.8.2010, 3.3.2011 and 23.01.2013. The

एस. की संस्तुति में पुनरुज्जीवन प्रस्ताव पर विचार करना, जो वस्तुएं उपयोग में नहीं हैं, पी.डी.आई.एल. के मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार उनके मूल्य का भुगतान करके, सरकारी उद्यमों से 'नामांकन आधार' पर प्राप्त करना तथा नई परियोजना में एफ.सी.आई.एल. को 11% इक्विटी देकर जिसके बदले में एफ.सी.आई.एल. रियायती अनुबंध के द्वारा भूमि के 'उपयोग का अधिकार' देगा और सभी उपयोग हो सकने योग्य परिसम्पत्तियों व आधारभूत संरचना पुनरुज्जीवित करने वाली सरकारी उद्यमों को हस्तांतरित करना सम्मिलित है।

पुनरुज्जीवित करने वाले सरकारी उद्यम हैं -

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| सेल | - सिन्दरी एकक के लिये |
| इ.आई.एल. और एन.एफ.एल. | - रामागुण्डम एकक के लिये |
| आर.सी.एफ., सी.आई.एल. और गेल | - तलचर एकक के लिये |

गोरखपुर और कोरबा एककों को बोली के माध्यम से पुनरुज्जीवित करने के संस्तुति दी गई है।

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति

ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने पुनर्वास योजना प्रारूप (डी.आर.एस.) और पुनरुज्जीवन के अन्य पैरामीटर को 4.8.2011 को अपनी स्वीकृति दे दी तथा इसे आगे कार्यान्वित करने के लिये ई.सी.ओ.एस. को प्राधिकृत किया है।

साथ ही ई.सी.ओ.एस. की संस्तुति को सी.सी.ई.ए. ने भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने के संबंध में 9.5.2013 को अपनी स्वीकृति दे दी जिससे सी.सी.ई.ए. की पूर्व स्वीकृति के अनुसार कंपनी को पुनरुज्जीवित किया जा सके।

बी.आई.एफ.आर. की परिसीमा से बाहर

कम्पनी के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों को बन्द करते

recommendations of ECOS include considering the revival proposals received from PSUs on 'nomination basis' on payment of the value of unusable items as per the PDIL's valuation report and give FCIL 11% Equity in the new Project, for which FCIL will give 'right to use' of land through a Concessionaire Agreement and hand-over all usable assets and infrastructure to the reviving PSUs.

The reviving PSUs are :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| SAIL | - for Sindri Unit |
| EIL & NFL | - for Ramagundam Unit |
| RCF, CIL & GAIL | - for Talcher Unit |

Gorakhpur and Korba units were recommended to be revived through bidding route.

CCEA Approval of ECOS Recommendation

On the recommendations of ECOS, CCEA approved on 4.8.2011 the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) and the other parameters of revival and authorized ECOS for taking forward the implementation process.

Subsequently, on the recommendations of ECOS, CCEA approved on 9.5.2013 the waiver of Govt loan and interest to make FCIL a positive net worth Company to enable the revival as approved by CCEA earlier.

De-registration from BIFR

While closing the Annual Accounts of the Company

समय सी.सी.ई.ए. के निर्णयों को लागू किया गया था। वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की हुई प्रति और लेखा परीक्षकों का सकारात्मक निवल पूँजी का प्रमाण पत्र बी.आई.एफ.आर. को प्रेषित किया गया था। बी.आई.एफ.आर. ने 27.6.2013 को सुनवाई में एफ.सी.आई.एल. को बी.आई.एफ.आर. की परसीमा से बाहर करने का आदेश दिया।

पुनरुज्जीवन की वर्तमान स्थिति

तलचर

1. आर.सी.एफ. ने अमोनिया और यूरिया तथा नाइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट प्लांटों के लिये एल.एस.टी. के निविदा को अंतिम रूप देने के लिये पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया है। गेल द्वारा कोल गैसीफिकेशन तकनीक को चुनने के कारण अंतिम रूप देने का कार्य रुका हुआ है।
2. गेल ने कोल गैसीफिकेशन तकनीक के चुनाव को अंतिम रूप देने के लिये पी.डी.आई.एल. को नियुक्त किया है। गेल द्वारा इच्छा अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) जारी कर दिया गया है।
3. आर.सी.एफ. ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से तलचर में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना लगाने के लिये टी.ओ.आर. अनुमति प्राप्त कर ली है। ई.आई.ए. और ई.एम.पी. अध्ययन प्रगति में है।
4. कोयला मंत्रालय ने परियोजना को अपने खदानों से आवाध कोयले की पूर्ति करने के लिये कोल ब्लॉक के आबंटन का प्रस्ताव दिया है।

रामागुण्डम

1. ई.आई.एल. और एन.एफ.एल. ने अमेनिया के लिये 2 तकनीकी सप्लायर और यूरिया के लिये

for the year 2012-13, the decisions of CCEA were implemented. The audited copy of the Annual Accounts of 2012-13 along with certificate of positive net worth from the Auditors was submitted to BIFR. The Hon'ble BIFR in their hearing held on 27.6.2013 ordered for deregistration of FCIL from BIFR.

Present Status of revival

Talcher

1. RCF has engaged PDIL for finalization of LSTK tenders for Ammonia and Urea and Nitric Acid and Ammonium Nitrate Plants. Finalisation is held up for selection of coal gasification technology by GAIL.
2. GAIL has engaged PDIL for finalizing the selection of coal gasification technology, EoI has been issued by GAIL.
3. RCF has obtained TOR clearance from MoEF for the coal based fertilizer plant at Talcher. EIA & EMP studies are in progress.
4. Ministry of Coal proposed that coal block allocation to the Project would facilitate uninterrupted coal supply to the project from its Captive Mines.

Ramagundam

1. EIL & NFL have shortlisted 2 Technology suppliers for Ammonia and 2 Technology

2 तकनीकी सप्लायर लघुसूचीबद्ध किये हैं। ई.आई. एल. और एन.एफ.एल. तकनीकी पद्धति के चयन को अंतिम रूप देने में प्रयासरत हैं।

2. ई.आई.एल. ने परियोजना से पूर्व की गतिविधियों के अतिरिक्त एम.ओ.ई.एफ. से टी.ओ.आर. अनुमति प्राप्त कर ली है। ई.आई.ए. और ई.एम.पी. अध्ययन प्रगति में है।
3. परियोजना को लगाने का कार्य ई.आई.एल. द्वारा ई. पी.सी. आधार पर किया जायेगा और प्लांट के प्रचालन का कार्य एन.एफ.एल. द्वारा किया जायेगा।

9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2013-2014 में इसकी गतिविधियां तथा उपलब्धियां

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग समझा जाता है। श्री राजीव कुमार, उप सचिव, उर्वरक विभाग, एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। वे कंपनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये विभिन्न रोकथाम के उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने का कार्य करता है।

10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं सभी निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये गतिविधियां सीमित हो गई हैं।

11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

- 11.1 31.3.2014 को कर्मचारियों की संख्या 17 है। ये कर्मचारी निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक

suppliers for Urea. EIL& NFL are in the process of finalizing the Technology process selection.

2. Apart from other pre-project activities, EIL has obtained TOR clearance from MoEF. EIA & EMP studies are in progress.
3. Construction of the Project would be taken up by EIL on EPC basis and operation of the Plant would be taken up by NFL.

9.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2013-14

The vigilance department is considered to be an integral part of the Management function. Shri Rajiva Kumar, Dy. Secy., Department of Fertilizers is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. He provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with meagre staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and in increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programme and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. However due to closure of the company, these activities are kept limited.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT etc.

- 11.1 The staff strength as on 31.3.2014 is 17 . The employees are retained on the rolls to look after

दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गये हैं। सभी इकाइयों के बंद को जाने के कारण जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं के संबंध में सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन उचित स्तर तक हुआ है।

12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी।

13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बन्द करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई कारण नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा।

14.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिये मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

15.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों ने रिपोर्ट दे दी है।

16.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय

the safety and security of the properties of the Company and to discharge statutory obligations of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

12.0 EMPLOYMENT OF SCs/STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs/STs/Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

13.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO

In view of Government's decision for closure of the operation of the Company there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was nil during the year.

14.0 STATUTORY AUDITORS

The statutory auditors of your company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s Ghosh Khanna & Company were appointed as Statutory Auditors for the financial year 2013-14.

15.0 MANAGEMENT COMMENTS ON STATUTORY AUDITORS REPORT

The statutory auditors of the company have given a report on the accounts of the company for the financial year 2013-14.

16.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Comptroller and Auditor General of India, through their letter dated 09.10.2014 has given

विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने दिनांक 9.10.2014 के पत्र के माध्यम से टिप्पणियाँ की हैं। सी.ए.जी. कार्यालय के सुझाव के अनुसार वर्ष 2013-14 के लिये सी.ए. जी. की टिप्पणियाँ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

17.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

17.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि -

31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखों का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

कम्पनी की परिसम्पत्ति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं के पकड़ने एवं रोकथाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखने में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है। वित्त वर्ष 2013-14 के लेखों को “चालू उद्यम” के आधार पर बनाया गया है।

18.0 निदेशक मंडल

	से	तक
1. श्री सुशील कुमार लोहानी, अ.प्र.नि.	01.07.2014	अब तक
2. श्री सतीश चन्द्रा, अ.प्र.नि.	12.7.2012	1.7.2014
3. श्री सुशील पाल, निदेशक (वित्त)	18.7.2013	अब तक
4. श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, निदेशक (वित्त)	30.10.2008	18.7.2013

comments on the financial statements of your company for the year ending 31 st March 2014 under Sec. 619(4) of the Companies Act. 1956. As advised by the office of CAG of India, the comments of CAG for the year 2013-14 are being placed with the report of Statutory Auditors else where in this Annual Report.

17.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

17.1 Pursuant to the requirement under section 217(2AA) of the Companies Act 1956, with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March 2014; the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

That the Directors have selected such Accounting Policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities. The accounts for the financial year 2013-14 have been prepared on "Going Concern" basis.

18.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Sushil Kumar Lohani, C&MD	01.07.2014	Till date
2. Shri Satish Chandra, C & MD	12.07.2012	01.07.2014
3. Shri Sushil Pal, Director (Finance)	18.07.2013	Till date
4. Mrs. TCA Kalyaani, Director (Finance)	30.10.2008	18.07.2013

	से	तक
5. श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक	27.8.2012	अब तक
6. श्री एस. आनंदन, निदेशक	8.8.2011	अब तक
7. डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक बी.आई.एफ. आर.	4.2.2011	19.8.2013

18.1 वित्तीय वर्ष 2013-14 में निदेशक मंडल की 7 तथा लेखा परीक्षा समिति की 2 बैठकें हुई। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रमांक	नाम	निदेशक मंडल की बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की बैठकें
1.	श्री सतीश चन्द्रा	7	-
2.	श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	2	1
3.	श्री एस. आनंदन	5	1
4.	डॉ. प्रदीप कुमार	2	1
5.	श्री सुशील पाल	5	1
6.	श्री विजय रंजन सिंह	2	1

19.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 292 क “लेखा परीक्षा समिति” जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 23.08.2013 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य है:

1. श्री एस. आनंदन, निदेशक	-	अध्यक्ष
2. श्री सुशील पाल, निदेशक (वित्त)	-	सदस्य
3. श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक	-	सदस्य

	From	To
5. Shri Vijay Ranjan Singh, Director	27.08.2012	Till date
6. Shri S. Anandan, Director	08.08.2011	Till date
7. Dr. Pradeep Kumar, Special Director ,BIFR	04.02.2011	19.08.2013

18.1 There were 7 meetings of Board of Directors and 2 meetings of Audit Committee during the financial year 2013-14. The details of meetings that the directors have attended are given below.

Sl. No.	Name	Board Meetings	Audit Committee Meeting
1.	Shri Satish Chandra	7	-
2.	Mrs. T.C.A. Kalyaani	2	1
3.	Shri S. Anandan	5	1
4.	Dr. Pradeep Kumar	2	1
5.	Shri Sushil Pal	5	1
6.	Shri Vijay Ranjan Singh	2	1

19.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act 1956, a new section 292A i.e. "Audit Committee" has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee has been reconstituted by the Board on 23.08.2013 comprising of the following Directors:

(1) Shri S. Anandan, Director	- Chairman
(2) Shri Sushil Pal, Director (Fin).	- Member
(3) Shri Vijay Ranjan Singh, Director	- Member

20.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सेवाओं के लिये उनकी सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा निगम के कर्मचारियों को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 29.09.2014

ह०/-
(सुशील पाल)
निदेशक (वित्त)

20-0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors and to the employees of the Company for their valued cooperation and support.

For and on behalf of the
Board of Directors

New Delhi
Dated: 29.09.2014

Sd/-
(Sushil Pal)
Director (Finance)

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - I

ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT - I

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 19.08.2014 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report dated 19.08.2014) and Explanations of the Company.

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

- हमने दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न निगम के लाभ एवं हानि विवरणिका तथा नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

यह लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Report on the financial statement

- We have audited the attached Balance Sheet of the Fertilizer Corporation of India Limited as at 31st March, 2014 and the related Profit and Loss Statement and Cash Flow Statement for the year ended on that date and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore, replies are not called for.

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

- इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर हमारे सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता हो और जो कम्पनी

यह लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

अधिनियम 1956 (“अधिनियम”) की धारा 211 के उपधारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानक के अनुरूप हों। इस उत्तरदायित्व में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों को सही और उचित चित्र प्रस्तुत करे और जो किसी गलतबयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों।

Management's Responsibility for Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the Accounting Standards referred to in Sub - Section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

These are reporting requirements of the Auditors and therefore, replies are not called for.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है

लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory
Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं।

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the standards on auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and no replies are called for.

4. लेखा परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत धनराशियों की लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होती है जिसे वित्तीय विवरणिका में प्रकट करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में किसी बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी उचित प्रस्तुति के लिये कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन को निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

उचित होता है। लेखापरीक्षा कार्य में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है और साथ ही इसमें वित्तीय विवरणों की विस्तृत प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment. Including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments; the auditor considers internal control relevant to the company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting used and the reasonableness of the accounting policies estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and no replies are called for.

5. हमारे मत में और हमें दी गयी उचित जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण अधिनियम में यथा अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं:

लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory
Auditors

5. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
- (क) 31 मार्च, 2014 को वस्तुस्थिति को दर्शाने वाला तुलन-पत्र कम्पनी के कार्यकलापों का।
- (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2014 and
- (ख) लाभ-हानि के विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त हुए 12 महीनों के लिए लाभ के संबंध में।
- (b) In the case of the profit and loss statement, of the profit for the period of twelve months ended on that date.
- (ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के नकदी प्रवाह का।
- (c) In the case of the cash flow statement, of the cash flows for the year ended of that date.

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and no replies are called for.

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory
Auditors

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

6. जैसे कि भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 227 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 ("आदेश 2004") के अंतर्गत अपेक्षित है और इस प्रकार से कम्पनी के लेखों और रिकार्ड के जाँच के आधार पर जैसा कि हमें उचित लगा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि -

Report on other legal and regulatory requirements

6. As required by Companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by the Companies (Auditors' Report) Amendment order, 2004 (together 'the order') issued by the Central Government of India in terms of Sub Section (4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 of India (the Act) and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we further report that:-

- i.क. स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो और लेखों

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है। अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

This is a reporting requirement for the Auditors under CARO (Companies Auditors' Report Amendment Order). No reply is called for in this Para.

परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों का अंतिम बार सत्यापन 2001-02 में हुआ था। उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा एफ.सी.आई. एल. के सभी एककों को बन्द करने तथा सभी कर्मचारियों को वी.एस.एस. में निवृत्त करने के निर्णय करने के कारण तथा

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory Auditors

पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(i)a. The physical verification of the fixed assets including assets retired from active use held for disposal has not been carried out. We are unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts.

i.ख. निगम ने निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है। केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहाँ कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं किया है।

(i)b. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets where for some items particulars.

ii.क. वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

(ii)a. The physical verification of inventory was not conducted during the year.

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

एककों में सीमित स्टाफ उपलब्ध होने के कारण और पर्यवेक्षण के लिये सीमित संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण परिसम्पत्तियों का सत्यापन नहीं हो सका है।

फिर भी परिसम्पत्तियों तथा स्टोर एवं स्पेयर की सुरक्षा के लिये कर्मचारियों के निवृत्त होने के पश्चात तुरन्त ही गोदामों को सील करके और डी.जी.आर. द्वारा प्रायोजित सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त कर सुरक्षा के उचित कदम उठाये गये हैं।

भारत सरकार का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात कम्पनी के सभी एककों को बन्द कर दिया गया और स्थायी परिसम्पत्तियों का स्थांतरण अथवा घटत/बढ़त अथवा स्थान एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण टिप्पणी सं. 6(i)क से 6(ii)ख के संदर्भ में है।

Physical verification of assets and the verification of inventory were last done to 2001-02. Subsequently due to the decision of Government of India to close the units of FCIL and release of all the employees on VSS, assets verification could not be done, as only skeleton staff were left in the units due to shortage of staff and non-availability of even minimum resources for supervision. However, adequate steps have been taken to safeguard the assets and stores and spares by sealing godowns immediately after release of majority of the employees and by engaging necessary DGR sponsored security personnel.

After the closure of all units of the Company on receipt of the decision of Gol to that effect, there was no movement of fixed assets or any addition/deletion to the assets have taken place or even change in the location and quantity effected.

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

ii.ख. निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, यदि कोई हो तो, और लेखों पर उनके प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

The above replies are given against Comments No. 6 (i)a to 6 (ii)b.

(ii)b. The Corporation is maintaining proper records of inventory in the absence of any physical verification for the inventory we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in accounts.

iii. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी को न तो सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत किया है और न ही लिया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

iii. The Corporation has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.

Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are called for.

iv. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

iv. The Corporation has not taken any loans, secured or unsecured, from any company, firms or other parties covered

Remarks of the auditors in their report, is self explanatory and therefore no replies are called for.

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory
Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

in the register maintained under Section 301 of the Act.

v. भारत सरकार द्वारा निगम को बंद करने का आदेश जारी करने के कारण और फिर निगम में सीमित कर्मचारी ही बचने के कारण वस्तुसूचियों व स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

v. In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation, we are unable to comment on the internal control system for the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services.

vi. अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत, लेन-देन, जिसकी रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है, उसकी प्रविष्टि कर दी गयी है।

vi. The transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act has been so entered.

vii. निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह बताना चाहते हैं कि वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों अथवा स्थायी परिसम्पत्तियों का कोई क्रय-विक्रय या उपयोग नहीं हुआ है।

Remarks of the Auditors in their report are self explanatory and therefore replies are not called for. However, it may be informed that there was no purchase or sale or use of inventory or fixed assets during the year.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

- vii. The Corporation has not accepted any deposits from the public.
- viii. निगम में अपने कर्मचारियों में से ही एक एकक से दूसरे एकक में भेज कर आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षा केवल एककों में वर्ष के कुछ अंश में किया गया है। हमें बताया गया है कि अत्यल्प स्टाफ तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को विधिवत नहीं बनाये रखा जा सका है।
- viii. The Corporation is having a internal audit system by its own staff rotating from one unit to other unit. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff & closure orders for the Corporation, the Internal Audit Department could not be maintained properly.
- ix. निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर आदि को जमा करने में सामान्यतः नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 को सिंदरी में सेवा कर के 14.95 लाख रुपये और केन्द्रीय कार्यालय में 2.56 लाख रुपये को लेखों नहीं लिया गया है तथा केन्द्रीय कार्यालय में टी.डी.एस. के 0.50 लाख रुपये की कटौती नहीं की गयी है। इन्हें

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक इसका अभिन्न भाग है 6(x)।

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory
Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

छोड़कर देयता की कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयता के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं।

- ix. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, income tax, sales tax, service tax, etc. according to information and explanation given to us, no undisputed amount payable in respect of income tax, wealth tax, sales tax, service tax, custom duty, excise duty, cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March 2014 for a period of more than six months from the date they become payable except service tax Rs 14.95 lakh at Sindri Unit, Rs 2.56 lakh at Central Office not taken in the books and tax deducted at source Rs. 0.50 lakh at Central Office not deducted.

- x. विवादास्पद राशि के संबंध में जो बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं उपकर के रूप में जमा नहीं कराई, माँगी गई जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में उपलब्ध है जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required as Annexure to the Auditors Report and forms integral part hereof 6(x).

सभी विवादित माँगें विभिन्न सांविधिक निकायों अर्थात् कमिशनर-बिक्रीकर, उत्पादशुल्क, सी.ई.एस.ए.टी. के पास अपील में हैं।

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory
Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

- x. In respect of disputed amounts not deposited on account of sales tax, service tax, custom duty, excise duty and cess, the required information is provided by way of an annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.
- xi. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों को रखना आवश्यक किया हुआ है। हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखने से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधियां बंद कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया गया है और न ही अनुरक्षित किया गया है।
- xi. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209 (1) (d) of the companies' act 1956. We are informed that the Corporation has moved an application in year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the order of the Corporation. However

All disputed demands are under appeal with different statutory bodies i.e. Commissioner - Sales Tax, Excise Duty, CESAT.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

ए.क्यू.सं. सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां/मन्तव्य
A.Q.No. Comments/Observations of the Statutory Auditors

निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण
Replies of Board of Directors

such permission has not yet been received, since the production activities have been closed no cost records have been made and maintained.

- xii. निगम को इस वर्ष तथा पिछले वित्त वर्ष में हानि हुई है। इस वर्ष निवल सम्पत्ति धनात्मक हो गई है और पुनरुज्जीवन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

- xii. The Corporation has incurred cash losses during the year and in the immediate proceeding financial year. During the year, the net worth has become positive and the revival process has started.

- xiii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है।

- xiii. According to information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

- xiv. निगम चिटफंड कंपनी नहीं है।

- xiv. The Corporation is not a chit fund company.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य
A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS

7. अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार हम रिपोर्ट करना चाहते हैं कि -

7 As required by section 227(3) of the Act we report that:

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।

(a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

ख. हमारी राय में, जैसा कि हमें उन बहियों के जाँच के दौरान दिखता है, निगम ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।

(b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as appears from our examination of those books.

ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(c) The balance sheet, profit & loss statements and cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण
REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

लेखा परीक्षकों द्वारा 7 (क) से 7 (घ) तक किया गया प्रकटन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (3) के अनुसार है। इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(a) to (d) are the disclosure given by the Auditors as required by the Section 227(3) of the Companies Act, 1956. No reply is called for.

ए.क्यू.सं.	लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य
A.Q.	COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO.	STATUTORY AUDITORS

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण
REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

घ. हमारी राय में ये लेखा 'चालू उद्यम नहीं' के आधार पर बनाये गये हैं जो कि कम्पनी अधिनियम के धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक के अनुसार है, केवल इन्हे छोड़ कर -

d. In our opinion these accounts have been drawn up "not on going concern bases" in compliance with the applicable accounting standards referred to in sub - section (3C) 211 of the Companies Act; except.

i. लेखा मानक-2 'वस्तुसूचियों का मूल्यांकन' ए एस-2 के अनुसार नहीं किया गया है। कच्चा माल और स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25 प्रतिशत की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100 प्रतिशत का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है।

उपर्युक्त व्यवहार का कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, जैसा कि हमें सूचित

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 2002-03 में कम्पनी में प्रचालन बन्द हो जाने के कारण कम्पनी को, जैसा कि "महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ" के पैरा ए VI में स्पष्ट किया गया है, एक नीति को अंगीकृत करना पड़ा। कम्पनी को विशेष परिस्थितियों में बन्द करने और मशीनों के लम्बी अवधि तक निष्क्रिय रहने और मशीनरी एवं स्पेयर्स के अप्रचलन में रहने के कारण ए एस-2 का सही अर्थों में पालन नहीं हुआ है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS**

किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

- i. Accounting Standard '2' valuation of inventories to the extent that the inventory have not been valued in accordance with the AS -2 the inventory of raw material, stores & spares have been valued at approximately 25% of the cost and 100% provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has taken for finished goods parking materials, chemicals, catalyst, consumable stores, lubricants, medical stores.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provision on loss and other related account could not be ascertained.

Loss, if any, on obsolescence / shortage of inventories during the year. As per information provided inventory godowns at the units remained sealed throughout the year and neither their physical status

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

Due to the closure of operations of the Company in the year 2002-2003, following the decision of Gol, the Company had to adopt a policy as explained under "Significant Accounting Policies" at para A VI, due to the extraneous circumstances of the Company, consequent to the closure and very long period of idleness of machinery and the obsolescence of machinery and spares. Hence, AS-2 could not be followed in true spirit.

Remarks of the Auditors in their report are self explanatory and therefore no further replies are required.

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS**

verified nor their realizable value is ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value / physical availability.

- ii. लेखा मानक-15 “कर्मचारी हित लाभ” की जानकारी ए एस-15 के अनुसार नहीं दिया गया है। यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है।

- ii. Accounting Standard '15' employees benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS 15 is not given although the Corporation is making the provisions on actual basis.

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

यह मानक, नियोक्ता के वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्ति लाभ के लेखों से संबंधित है।

क. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में वेतन, भत्ते, अस्वस्थता अवकाश की देयता, वार्षिक अवकाश की देयता, आर्थिक लाभ जैसे कि मैडिकल मामले तथा आर्थिक लाभ के अलावा जैसे कि मकान के लाभ-हानि लेखों में वर्तमान खर्च में लिया जाता है।

ख. दीर्घ अवधि सेवानिवृत्ति लाभ

सेवा निवृत्ति के पश्चात लाभ की देयता जैसे कि आनुतोषिक निधि में अंशदान, भविष्य निधि और संचित अवकाश का नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ-हानि लेखों में लिया जाता है।

The standard deals with accounting for retirement benefits in the financial statements of employers. Employees benefit extended by the Company are as follows:-

(a) Short terms employees benefit.

Short terms employees benefit such as salary, wages, paid sick leave, paid annual leaves

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य
A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण
REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

monitory benefits such as medical cases and non-monitory benefits like houses are charged to profit & loss accounts as current expenditure.

(b) Long Retirement Benefit

The liability towards post retirement benefit i.e. contribution towards Gratuity Fund, Provident Fund and provision for encashment of accumulated leave are made on actual basis and charged to profit & loss accounts.

iii. 'परिसम्पत्ति में छति' के संबंध में लेखा मानक-28 छति की हानि, बहीमूल्य का 95 प्रतिशत तथा शेष बही मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है।

पूँजीगत स्टोर की छति के घाटे को भी परिसम्पत्ति के बही मूल्य का 100% प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त ट्रीटमेंट का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

iii. Accounting Standard '28' in respect of 'Impairment of assets' impairment loss has been provided at 95% of the book

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS**

value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage / realizable value of the assets.

Even for capital stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

ड. उत्पाद शुल्क विभाग के पास 38.13 लाख रुपये की आवधिक जमा के गिरवी में रखे जाने की पुष्टि/ दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

विविध देनदार, लेनदार, ऋण एवं अग्रिम पर बकाया पुष्टि एवं मिलान पर निर्भर करता है।

e. FD pledged with Excise Department amounting to Rs. 38.13 lakh against which no confirmation/ documents are available.

Balances in respect of Sundry Debtors, Creditors and Loans & Advances are subject to confirmation and reconciliation.

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

यह मामला कम्पनी के बन्द होने से पहले लगभग 2002-03 का है। उत्पाद शुल्क विभाग के पास आवधिक जमा को गिरवी में रखते समय कम्पनी द्वारा दस्तावेज को प्राप्त करने एवं पुष्टि के संबंध में उचित उपायों का पालन किया गया है। जिन पार्टियों से कम्पनी ने धनराशि लेना है उन्हें 31 मार्च, 2014 तक के बकाया के पुष्टि के लिये पत्र भेजा गया था। बहुत कम जवाब प्राप्त हुये हैं। इस वर्ष सभी बकाया देयता की पुष्टि के लिये कम्पनी लिखेगी। फिर भी इस वर्ष बकाया की देयता के संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी।

This is the case of prior to closure of the Company around 2002-03. As the Fixed Deposit assets were pledged with Excise Department, appropriate measures have been taken by the Company to locate the documentation, along with confirmation.

Letter seeking confirmations of balance as 31st March 2014 were sent to all parties from whom sums are due

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य
A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण
REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

च. निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात कंपनी सचिव नहीं है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अंतर्गत अपेक्षित है।

f. The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of section 383 A of the Companies Act 1956.

छ. निगम ने एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट के अनुसार देयताओं के निर्धारण के लिये एक प्रणाली नहीं बनाई है। अतः माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देयता के ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो, का उल्लेख नहीं है।

to the Company. The response received had been very poor. However, suitable action with regard to debit balances would be taken in the current year.

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार 2002-03 से कम्पनी की उत्पादन इकाइयों का प्रचालन बंद है और कम्पनी के सभी कर्मचारियों को वी.एस.एस. स्वीकृत किया गया है। वी.एस.एस. के लागू होने के कारण नई भर्ती नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त कंपनी में वर्तमान में कुल 17 कर्मचारी होने के कारण तथा 1987 के पश्चात वेतनमान में संशोधन न होने के कारण प्रतिभावानों को इस ओर आकर्षित नहीं किया जा सका है। इस समय निदेशक (वित्त) बोर्ड का काम देखते हैं।

The manufacturing operations of the Company are under closure since 2002-03 as per the decision by GOI and VSS has been sanctioned to all the employees of the Company. Due to the introduction of VSS, no recruitments could be undertaken, apart from the present strength being only 17 employees and non - revision of pay scales after 1987, no talent can be attracted. At present, Director (Finance) is associated in looking after the Board matters.

कम्पनी के सभी एककों का प्रचालन बंद होने के पश्चात खरीददारी की कोई आवश्यकता नहीं थी अतः अब कम्पनी के पास किसी पार्टी का कैसा भी खाता नहीं है जो कि माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 से संबंधित हों। इसके अतिरिक्त माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकारी परिसमापक के पास 5 करोड़ रुपये जमा करा दिये गये हैं जिससे कि कम्पनी के एक लाख रुपये तक के लेनदारों का भुगतान

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य

**A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS**

g. The Corporation has not established a system to determine liability under MSMED Act. Thus there is no disclosure of particulars and non-accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

ज. भूमि की लेखा प्रविष्टि जो कि विभिन्न स्थानों पर, संबंधित सरकारों से निःशुल्क प्राप्त हुई हैं को अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव अनिश्चित है।

h. Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective Governments are yet to be passed; the impact of the same on the accounts remained unascertained.

झ. भारत सरकार ने अपने स्पष्टीकरण सं. जी. एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

किया जा सके। अतः इस प्रकार सभी देयताओं का भुगतान लगभग कर दिया गया है। कम्पनी को सरकारी परिसमापक से अभी तक अनुपालन विवरण प्राप्त होना बाकी है।

After closure of operations of all units of the Company, there was no necessity to make purchases and hence no such parties are having such account at present with the Company in any manner which belongs to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. Moreover, in terms of the orders of Hon'ble Delhi High Court, an amount of Rs. 5 crore has been deposited with the Official Liquidator (OL) of the Hon'ble Delhi High Court to disburse dues of all creditors of the Company, having their dues upto Rs. 1 lakh. Hence, all such dues are likely to have been disbursed. The Company is yet to receive the compliance statement from OL.

संबंधित राज्य सरकारों से निःशुल्क में प्राप्त स्थायी परिसम्पत्तियों सर्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कल्पित मूल्य पर लगाये गये हैं। कम्पनी द्वारा खरीदी गई/बनवाई गई/विकसित की गई स्थायी परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया गया है।

Fixed assets received free of cost from respective State Governments are stated at notional value as per DPE guidelines. Fixed assets / purchased / constructed / developed by the Company are stated at historical cost less accumulated depreciation.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए.क्यू.सं. लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ/मन्तव्य
A.Q. COMMENTS/OBSERVATIONS OF THE
NO. STATUTORY AUDITORS

निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण
REPLIES OF THE BOARD OF DIRECTORS'

में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 274 के उपधारा (1) के खंड (जी) में निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है।

- i. The Central Government has, vide clarification no. GSR 829 (E) dated 21st October 2003 exempted Government companies from the applicability of the provisions of clause (g) of sub - section (1) of 274 of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of directors.

Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are required.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न निगम के लाभ एवं हानि विवरणिका तथा नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर हमारे सत्य और निष्पक्ष मत को दर्शाता हो और जो कम्पनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 के उपधारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानक के अनुरूप हों। इस उत्तरदायित्व में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करे और जो किसी गलतबयानी चाहे वह कपट गलती से हो, से मुक्त हों।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं।

AUDITORS' REPORT

Report on the Financial Statement

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Fertilizer Corporation of India Limited as at 31st March, 2014 and the related Profit and Loss Statement and Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. लेखा परीक्षा प्रक्रिया में राशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों के बारे में प्रकटन प्राप्त करना होता है। जिन प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में किसी बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी उचित प्रस्तुति के लिये कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित होता है। लेखापरीक्षा कार्य में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है और साथ ही इसमें वित्तीय विवरणों की विस्तृत प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments; the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. हमारे मत में और हमें दी गयी उचित जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण अधिनियम में यथा अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्रायः अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं:
5. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- (क) 31 मार्च, 2014 की वस्तुस्थिति को दर्शाने वाला तुलन-पत्र कम्पनी के कार्यकलापों का।
- (ख) लाभ-हानि के विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त हुए 12 महीनों के लिए लाभ के संबंध में।
- (ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के नकदी प्रवाह का।
- (a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31 st March, 2014 and
- (b) In the case of the Profit and Loss Statement, of the Profit for the period of twelve months ended on that date.
- (c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

6. जैसे कि भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 (“अधिनियम”) की धारा 227 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 (“आदेश 2004”) के अंतर्गत अपेक्षित है और इस प्रकार से कंपनी के लेखों और रिकार्ड के जांच के आधार पर जैसा कि हमें उचित लगा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि-

- i.क. स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो और लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- i.ख. निगम ने निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है। केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहां कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं किया है।
- ii.क. वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
- ii.ख. निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है। वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, यदि कोई हो तो, और लेखों पर उनके

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

6. As required by Companies (Auditors' Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditors' Report) (Amendment) Order, 2004 (together 'the order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section(4A) of section 227 of The Companies Act, 1956 of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we further report that:

- i.a. The physical verification of fixed assets including assets retired from active use held for disposal has not been carried out. We are unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts.
- i.b. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/ divisions where for some items particulars, locations & quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some units/division fixed asset records are not updated.
- ii.a. The Physical verification of inventory was not conducted during the year.
- ii.b. The Corporation is maintaining proper records of inventory in the absence of any physical verification for the inventory we are

- प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- iii. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी को न तो सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत किया है और न ही लिया है।
- iv. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है।
- v. भारत सरकार द्वारा निगम को बंद करने के आदेश जारी करने के कारण और फिर निगम में सीमित कर्मचारी ही बचने के कारण वस्तुसूचियों व स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- vi. अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत, लेन-देन, जिसकी रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है, उसकी प्रविष्टि कर दी गयी है।
- vii. निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
- viii. निगम में अपने कर्मचारियों में से ही एक एकक से दूसरे एकक में भेज कर आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली है। आंतरिक लेखा परीक्षा केवल एककों में वर्ष के कुछ अंश में किया गया है। हमें बताया गया है कि अत्यल्प स्टाफ तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को विधिवत नहीं बनाये रखा जा सका है।
- unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in accounts.
- iii. The Corporation has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.
- iv. The Corporation has not taken any loans, secured or unsecured, from any company, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.
- v. In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation. We are unable to comment on the internal control system for the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services.
- vi. The Transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act has been so entered.
- vii. The Corporation has not accepted any deposits from the public.
- viii. The Corporation is having a internal audit system by its own staff rotating from one unit to other unit. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff and closure orders for the Corporation, the internal audit department could not be maintained properly.

- | | |
|--|---|
| <p>ix. निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर आदि को जमा करने में सामान्यतः नियमित रही है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2014 को सिंदरी में सेवा कर के 14.95 लाख रुपये और केन्द्रीय कार्यालय में 2.56 लाख रुपये को लेखों में नहीं लिया गया है तथा केन्द्रीय कार्यालय में टी. डी.एस. के 0.50 लाख रुपये की कटौती नहीं की गयी है। इन्हे छोड़कर देयता की कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयता के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छः महीने से अधिक तक बकाया नहीं रहे हैं।</p> | <p>ix. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Sales Tax, Service Tax etc. according to information & explanations given to us, no undisputed amount payable in respect of Income Tax, wealth tax, Sales Tax, Service Tax, custom duty, excise duty, cess and other statutory dues, were outstanding as on 31 st March 2014 for a period of more than six months from the date they become payable except service tax Rs. 14.95 Lakh at Sindri Unit, Rs. 2.56 Lakh at Central Office not taken in the books and tax deducted at source Rs. 0.50 Lakh at Central Office not deducted.</p> |
| <p>x. विवादास्पद राशि के संबंध में जो बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं उपकर के रूप में जमा नहीं कराई, माँगी गई जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में उपलब्ध है जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधारित है।</p> | <p>x. In respect of disputed amounts not deposited on account of Sales Tax, Service Tax, custom duty, excise duty and cess the required information is provided by way of an annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.</p> |
| <p>xi. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखना आवश्यक किया हुआ है। हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखने से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधियों बंद कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया गया है और न ही अनुरक्षित किया गया है।</p> | <p>xi. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209(1)(d) of the Companies Act 1956. We are informed that the Corporation has moved an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the order of the Corporation. However, such permission has not yet been received. Since the production activities have been closed no cost records have been made and maintained.</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>xii. निगम को इस वर्ष तथा पिछले वित्त वर्ष में हानि हुई है। इस वर्ष निवल सम्पत्ति धनात्मक हो गई है तथा पुनरुज्जीवन का कार्य प्रारम्भ हो गया है।</p> <p>xiii. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है।</p> <p>xiv. निगम चिटफंड कम्पनी नहीं है।</p> | <p>xii. The Corporation has incurred cash losses during the year and in the immediate preceding financial year. During the year, the net worth has become positive and the revival process has started.</p> <p>xiii. According to information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.</p> <p>xiv. The Corporation is not a chit fund company.</p> |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <p>7. अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार हम बताया चाहते हैं कि -</p> <p>क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है।</p> <p>ख. हमारी राय में, जैसा कि हमें उन बहिनों के जॉच के दौरान दिखता है, निगम ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है।</p> <p>ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।</p> <p>घ. हमारी राय में ये लेख 'चालू उद्यम नहीं' के आधार पर बनाये गये हैं जो कि कम्पनी अधिनियम के धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक के अनुसार है, केवल इन्हे छोड़ कर-</p> <p>i. लेखा मानक-2 'वस्तुसूचियों का मूल्यांकन' ए एस-2 के अनुसार नहीं किया गया है। कच्चा माल और स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25 प्रतिशत की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसासन, कैटेलिस्ट,</p> | <p>7. As required by section 227(3) of the Act we report that:</p> <p>a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.</p> <p>b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as appears from our examination of those books.</p> <p>c) The Balance Sheet, Profit & Loss Statement and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account.</p> <p>d) In our opinion, these accounts have been drawn up "not on going concern basis" in compliance with the applicable accounting standards referred to in sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act; except.</p> <p>i. Accounting Standard '2' Valuation of inventories to the extent that the inventory have not been valued in accordance with the AS-2. The Inventory of raw material, Stores & Spares have been valued at approximately 25% of the cost and 100%</p> |
|---|--|

उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100 प्रतिशत का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है।

उपर्युक्त ट्रीटमेंट का कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है।

- ii. लेखा मानक-15 “कर्मचारी हित लाभ” ए एस-15 के अनुसार नहीं दिया गया है। यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है।
- iii. ‘परिसम्पत्ति में छति’ के संबंध में लेखा मानक-28 छति की हानि, बहीमूल्य का 95 प्रतिशत तथा शेष बही मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है।

पूँजीगत स्टोर की छति के घाटे को भी परिसम्पत्ति के बही मूल्य का 100% प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त ट्रीटमेंट का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has taken for finished goods, packing materials, chemicals, catalyst, consumable stores, lubricants, medical stores.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

Loss, if any, on obsolescence/shortage of inventories during the year. As per information provided inventory godowns at the units remained sealed throughout the year and neither their physical status verified nor their realizable value is ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/physical availability.

- ii. Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS-15 is not given. Although the Corporation is making the provisions on actual basis.
- iii. Accounting Standard '28' in respect of 'Impairment of Assets' impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the assets.

Even for Capital Stores impairment loss has been provided at 100% of the book value of assets.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

- | | |
|---|--|
| <p>ड. उत्पाद शुल्क विभाग के पास 38.13 लाख रुपये की आवधिक जमा के गिरवी में रखे जाने की पुष्टि/दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। विविध देनदार, ऋण एवं अग्रिम पर बकाया पुष्टि एवं मिलान पर निर्भर करता है।</p> <p>च. निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात कंपनी सचिव नहीं है जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अंतर्गत अपेक्षित है।</p> <p>छ. निगम ने एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट के अनुसार देयताओं के निर्धारण के लिये एक प्रणाली नहीं बनाई है। अतः माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देयता के ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो, का उल्लेख नहीं है।</p> <p>ज. भूमि की लेखा प्रविष्टि जो कि विभिन्न स्थानों पर, संबंधित सरकारों से निःशुल्क प्राप्त हुई हैं को अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव अनिश्चित है।</p> <p>झ. भारत सरकार ने अपने स्पष्टीकरण सं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 274 के उपधारा (1) के खंड (जी) में निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है।</p> | <p>e) FD pledged with Excise Department amounting to Rs. 38.13 Lakh against which no confirmation/documents are available. Balances in respect of Sundry Debtors, Creditors and Loans & Advances are subject to confirmation and reconciliation.</p> <p>f) The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of Section 383A of the Companies Act 1956.</p> <p>g) The Corporation has not established a system to determine liability under MSMED Act. Thus there is no disclosure of particulars and non-accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro Small and Medium Enterprises Development Act 2006.</p> <p>h) Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective Governments are yet to be passed; the impact of the same on the accounts remained unascertained.</p> <p>i) The Central Government has, vide clarification No. GSR 829 (E) dated 21st October, 2003 exempted government companies from the applicability of the provisions of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of directors.</p> |
|---|--|

कृते मैं. घोष खन्ना एण्ड कं.,
सनदी लेखाकार

For M/s. Ghosh Khanna & Co.
Chartered Accountants

ह०/-

Sd/-

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.8.2014

(रोहित कोहली)
भागीदार
सदस्यता सं. 87722

Place : New Delhi
Dated : 19.08.2014

(Rohit Kohli)
Partner
M.No. 87722

अनुलग्नक
ANNEXURE

31.3.2014 को समाप्त वर्ष के लिये विवादास्पद सांविधिक देयताओं के ब्यौरे
DETAILS OF DISPUTED STATUTORY DUES FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2014

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
सिन्दरी				
SINDRI				
1.	बिहार स्वास्थ्य उपकर अधिनियम'77 तथा बिहार और उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1990 Bihar Health Cess Act. 77 and Bihar and Orissa Primary Education Act. 1990.	नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा स्वास्थ्य उपकर तथा शिक्षा उपकर अधिरोपित Health Cess and Education Cess imposed by Notified Area Committee	229.49 लाख रुपये + ब्याज (आदेश के अनुसार 30 लाख रुपये का भुगतान न्यायालय को किया) 229.49 lakh + Interest (Rs. 30 lakh paid to Court as per orders).	भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली Supreme Court of India, New Delhi
2.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	315.85 लाख रुपये 315.85 lakh	सी ई एस ए टी, कोलकाता CESAT, Kolkata.
3.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	17.28 लाख रुपये 17.28 lakh	उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना Commissioner of Excise, Patna.
4.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	25.64 लाख रुपये 25.64 lakh	उत्पाद शुल्क आयुक्त, राँची Commissioner of Excise, Ranchi

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (रुपये) Amount (Rs.)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
5.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	25.14 लाख रुपये 25.14 lakh	नया दावा Fresh Claim
6.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	421.65 लाख रुपये 421.65 lakh	जे सी सी टी, धनबाद JCCT, Dhanbad
7.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	2009.06 लाख रुपये 2009.06 lakh	सी सी टी, राँची CCT, Ranchi
8.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	1.00 लाख रुपये 1.00 lakh	ए सी सी टी, राँची ACCT, Ranchi
9.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	5.00 लाख रुपये + 1993-94 से ब्याज 5.00 lakh + Interest from 1993-94	सी सी टी, पटना CCT, Patna

गोरखपुर

GORAKHPUR

10.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	0.41 लाख रुपये 0.41 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
11.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	उत्पाद शुल्क Excise duty	0.32 लाख रुपये 0.32 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad

रामगुण्डम

RAMAGUNDAM

कोई ऐसा मामला नहीं है।

No such cases.

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (रुपये) Amount (Rs.)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
तलचर TALCHER				
12.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	2.27 लाख रुपये 2.27 lakh	सहायक बिक्री कर आयुक्त, कटक, ओडिसा Asstt. Commissioner of Sales Tax, Cuttack, Odisha.
कोरबा KORBA				
13.	नगर निगम, कोरबा Nagar Nigam, Korba	सम्पत्ति कर Property Tax	42.39 लाख रुपये 42.39 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
विपणन प्रभाग MARKETING DIVISION				
14.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.89 लाख रुपये 24.89 lakh	सहायक बिक्री कर आयुक्त, पटना Asstt. Commissioner of Sales Tax, Patna
15.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.00 लाख रुपये 24.00 lakh	सहायक बिक्री कर आयुक्त, लखनऊ Asstt. Commisioner of Sales Tax, Lucknow.

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम 1956, के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कम्पनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपने वृत्तिक निकाय, इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 19 अगस्त, 2014 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जाँचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कम्पनी वैयक्तिक के जाँच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखा परीक्षण के आधार पर कोई महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसमें कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट या अनुपूरक पर टिप्पणी करने की स्थिति उत्पन्न हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह./-

(यशोधरा राय चौधरी)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के मुख्य निदेशक
तथा आडिट बोर्ड - II के पदेन सदस्य,
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : अक्टूबर 9, 2014

Comments of the Comptroller and Auditor General of India Under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of The Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2014

The preparation of financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the financial year ended 31st March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the Standards of Audit prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19th August, 2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of The Fertilizer Corporation of India Limited for the financial year ended 31st March, 2014. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors report under section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-

(Yashodhara Ray Chaudhuri)

Principal Director of Commercial Audit &

Ex-officio Member, Audit Board-II

Kolkata

Place : Kolkata

Dated : October 9, 2014

तुलन पत्र

(31 मार्च, 2014 को)

BALANCE SHEET

ASAT 31ST MARCH, 2014

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

अनुसूची संख्या 31.03.2014 को 31.03.2013 को
Note No. As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

इक्विटी एवं देयताएं	EQUITY & LIABILITIES			
शेयरधारियों की निधियाँ	Shareholders' Funds			
शेयर पूँजी	Share Capital	2	7,509,239	7,509,239
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	3	(7,457,629)	(7,458,258)
चालू देयताएं नहीं हैं	Non-Current Liabilities			
दीर्घ अवधि ऋण	Long Term Borrowings	4	-	15,000
दीर्घ अवधि देयताएं	Long Term Liabilities	5	1,459,459	1,511,198
दीर्घ अवधि प्रावधान	Long Term Provisions	6	129,028	126,787
चालू देयताएं	Current Liabilities			
चालू देयताएं	Current Liabilities	7	13,899	11,662
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	8	970	2,628
लघु अवधि प्रावधान	Short Term Provisions	9	29,674	39,282
योग	TOTAL		1,684,640	1,757,538
परिसम्पत्तियाँ	ASSETS			
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current Assets			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	Fixed Assets	10		
मूर्त परिसम्पत्तियाँ	Tangible Assets		608,820	620,704

(जारी)/Continued

तुलन पत्र (31 मार्च 2014 को) (जारी)

BALANCE SHEET (As at 31st March, 2014) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
निवेश	Investment	11	5	5
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash Equivalents	12	10,382	9,961
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	13	383,462	366,079
चालू परिसम्पत्तियाँ	Current Assets			
वस्तु सूचियाँ	Inventories	14	155,186	155,186
व्यापार प्राप्ति योग्य	Trade Receivables	15	204	1,143
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash Equivalents	12	497,519	578,919
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	13	29,062	25,541
योग	TOTAL		1,684,640	1,757,538

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।

The accompanying notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

यह हमारे इसी तिथि को रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र है।

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(सुशील पाल)/(Sushil Pal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महाप्रबंधक/General Manager

ह०/- Sd/-
(सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director
हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date.
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366 N

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.08.2014

ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. 87722

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये)
PROFIT AND LOSS STATEMENT (FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या	31.03.2014 को	31.03.2013 को
		Note No.	As at 31.03.2014	As at 31.03.2013
अन्य आय	Other Income	17	134,408	504,912
कुल राजस्व	Total Revenue		<u>134,408</u>	<u>504,912</u>
व्यय	Expenses			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee Benefit Expenses	18	12,320	14,308
वित्त लागत	Finance Costs	19	36	1
प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenses	20	108,180	106,381
मूल्यहास एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and Amortization Expenses	10	11,821	2,485
कुल व्यय	Total Expenses		<u>132,357</u>	<u>123,175</u>
विशिष्ट एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ	Profit Before Exceptional and Extraordinary Items & Tax		2,051	381,737
असाधारण मद	Exceptional Items	22	-	107,403,686
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ	Profit before extraordinary items & Tax		2,051	107,785,423
असाधारण मद	Extraordinary Items		-	-
पूर्व अवधि खर्चे	Prior Period Expenses	23	1,422	4,673
पूर्व अवधि तथा असाधारण मदों के समायोजन के पश्चात लाभ/हानि	Profit/Loss after Prior Period & Extra ordinary Adjustments		629	107,780,750

(जारी)/Continued

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)

PROFIT AND LOSS STATEMENT (FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2014) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या 31.03.2014 को Note No. As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
जोड़ : पिछले वर्ष से आगे लायी गयी हानि	Add: Loss Brought Forward from Previous Years	(7,466,419)	(115,247,169)
तुलन-पत्र में लाया गया लाभ/ हानि का बकाया	Balance of Profit/Loss carried over to Balance Sheet	(7,465,790)	(7,466,419)
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (1000/- रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य)	Earnings per equity share (Face Value Rs.1000/- each):		
मूल	(1) Basic	0.084	14353.09
द्रवीय	(2) Diluted	0.084	14353.09

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।

The accompanying notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

यह हमारे इसी तिथि को रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र है।

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(सुशील पाल)/(Sushil Pal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महाप्रबंधक/General Manager

ह०/- Sd/-
(सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director
हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date.
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366 N

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.08.2014

ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. 87722

अनुसूची - 2
शेयर पूंजी
NOTE - 2
SHARE CAPITAL

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

31.03.2014 को 31.03.2013 को
As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

प्राधिकृत	Authorised		
80,00,000 इक्विटी शेयर रु. 1,000/- के प्रत्येक (गत वर्ष 8,000,000 इक्विटी शेयर)	8,000,000 Equity Shares of Rs. 1,000/- each (Previous year 8,000,000 Equity Shares)	8,000,000	8,000,000
जारी किये गये, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त	Issued, Subscribed and Fully Paid up		
7509239 इक्विटी शेयर रु. 1000/- के पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष 7509239 इक्विटी शेयर)	7509239 Equity Shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Previous year 7509239 Equity Shares)	7,509,239	7,509,239
		<u>7,509,239</u>	<u>7,509,239</u>

अनुसूची - 3

आरक्षित एवं अधिशेष

NOTE - 3

RESERVES AND SURPLUS

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
क. आरक्षित पूंजी	a. Capital Reserve		
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	7,569	7,569
घटाएं : वर्ष के दौरान	Less: Written back		
वापस किया गया	during the year	-	-
		<u>7,569</u>	<u>7,569</u>
ख. अन्य आरक्षित	b. Other Reserve		
(औद्योगिक आवास	(Subsidy on Industrial		
पर सब्सिडी)	Housing)		
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance	592	592
घटाएं : वर्ष के दौरान	Less: Written back		
वापस किया गया	during the year	-	-
		<u>592</u>	<u>592</u>
लाभ एवं हानि लेखा से	Amount Transferred from Profit &	(7,465,790)	(7,466,419)
अंतरित राशि	Loss Statement		
		<u>(7,457,629)</u>	<u>(7,458,258)</u>

अनुसूची - 4

दीर्घ अवधि ऋण

NOTE - 4

LONG TERM BORROWINGS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

31.03.2014 को 31.03.2013 को
As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

असुरक्षित	Unsecured		
सी. डब्ल्यू. सी. से	From C.W.C.	—	15,000
		<hr/>	<hr/>
		—	15,000
		<hr/>	<hr/>

अनुसूची - 5

दीर्घ अवधि देयताएँ

NOTE - 5

LONG TERM LIABILITIES

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
ट्रेड देय	Trade Payables		
पूँजी लेखे पर	On Capital Account	6,012	6,225
ट्रेड पर देयता	On Trade Payables	1,059,944	1,068,203
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and Other Deposits	37,313	37,316
प्रतिभूति/बयाना जमा राशि	Security / Earnest Money Deposit	37,529	36,125
अन्य	Others		
भूतपूर्व कर्मचारी	Ex-Employees	12,814	14,715
भूतपूर्व कर्मचारी	Ex-Employees	197,558	193,313
(आवास पट्टे पर)	(Lease Accomodation)		
सांविधिक देयताएं व अन्य	Statutory Liabilities & Others	37,654	25,075
सीमा शुल्क	Custom Duty	58,509	58,509
अन्य देयताएं	Other Liabilities	5,533	65,631
कर्मचारी सुख सुविधा निधि	Worker's Amenities Fund	6,593	6,086
		<u>1,459,459</u>	<u>1,511,198</u>

अनुसूची - 6

दीर्घ अवधि प्रावधान

NOTE - 6

LONG TERM PROVISIONS

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
पूँजी खाता	Capital Account	-	1,191
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	118,845	118,941
नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	Penal Interest on NOIDA Land	3,420	3,420
नेहरू प्लेस फ्लैट धारक	Nehru Place Flat Owners	748	748
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory Liabilities & Others	6,015	2,487
		<u>129,028</u>	<u>126,787</u>

अनुसूची - 7

चालू देयताएं

NOTE - 7

CURRENT LIABILITIES

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
ट्रेड देय	Trade Payables		
खर्चों पर लेनदार	Creditors for Expenses	2,455	261
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and Other Deposits	2,799	263
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest Money Deposit	6,597	6,165
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory Liabilities & Others	2,048	4,973
		<u>13,899</u>	<u>11,662</u>

अनुसूची - 8

अन्य चालू देयताएं

NOTE - 8

OTHER CURRENT LIABILITIES

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
पूर्व कर्मचारी	Ex-Employees	152	-
देय लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fee Payable	250	212
देय किराया	Rent Payable	540	2,340
देय विद्युत खर्च	Electricity Expenses Payable	28	76
		<u>970</u>	<u>2,628</u>

अनुसूची - 9
लघु अवधि प्रावधान
NOTE - 9
SHORT TERM PROVISIONS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

31.03.2014 को 31.03.2013 को
As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	(a) Provisions for Employees Benefit		
कर्मचारियों को वेतन	Salary for Employees	413	476
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	246	270
आनुतोषिक (दी गई राशि)	Gratuity (Funded)	5,721	6,500
अवकाश नगदीकरण (दी गई राशि)	Leave Encashment (Funded)	2,074	2,292
सेवानिवृत्ति (दी गई राशि)	Superannuation (Funded)	13,619	16,567
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए., आदि)	Others (VSS-TA etc.)	342	353
(ख) अन्य	(b) Other		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	7,094	12,649
लेखा परीक्षा व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Audit Expenses	165	175
		<u>29,674</u>	<u>39,282</u>

अनुसूची - 10

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

NOTE - 10

FIXED ASSETS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड Gross Block					संचित मूल्यहास Accumulated Depreciation					निवल खण्ड Net Block	
	01.4.2013	वृद्धि/ को (निपटान) बकाया	व्यापार भागीदारी से अर्जित	पुन- मूल्यांकन/ (छति)	31.03.2014 को बकाया	01.4.2013	वर्ष में को मूल्यहास बकाया	पुन- मूल्यांकन के कारण समायोजन	निपटान के लिए को	31.3.2014 को बकाया	31.3.2013	31.3.2014 को बकाया
	Balance as at 01.04.2013	Addition/ (Disposal)	Acquired through business combination	Revalu- ation/ (Impair- ment)	Balance As at 31.3.2014	Balance As at 01.4.2013	Depre- ciation charged for the year	Adjust- ment due to re- valuation	On Dispo- sals	Balance As at 31.3.2014	Balance As at 31.3.2013	Balance As at 31.3.2014

(क) निपटान के लिये सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ

(A) Assets retired and held for disposal

सड़कें एवं पुलियां Roads & Culverts - F.Y.	16,746				16,746	15,909				15,909	837	837
भवन Buildings - F.Y.	184,911				184,911	175,666				175,666	9,245	9,245
रेल साइडिंग्स Railway Sidings	68,414				68,414	64,993				64,993	3,421	3,421
संयंत्र एवं मशीनरी Plant & Machinery	10,074,142		-2,242		10,071,900	9,570,435			-2,130	9,568,305	503,707	503,595
गैस टरबाइन Gas Turbine	166,015				166,015	157,715				157,715	8,300	8,300
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage and Drainage - F.Y.	122,811				122,811	116,670				116,670	6,141	6,141
विविध उपकरण Misc. Equipments	87,182				87,182	82,823				82,823	4,359	4,359
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture & Office Appliances	39,863		-30		39,833	37,874			-29	37,845	1,989	1,989
परिवहन गाड़ियां Transport Vehicles	9,082				9,082	8,627			-	8,627	455	455
	10,769,166		(2,272)		10,766,894	10,230,712			(2,159)	10,228,553	538,454	538,342
पूंजीगत सामग्री Capital Stores	188,533				188,533	179,106	9,427			188,533	9,427	0
योग(क)/Total (A)	10,957,699		(2,272)		10,955,427	10,409,818	9,427		(2,159)	10,417,085	547,881	538,342

जारी/Continued

स्थायी परिसम्पत्तियाँ (जारी)
FIXED ASSETS (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड Gross Block					संचित मूल्यहास Accumulated Depreciation					निवल खण्ड Net Block	
	01.4.2013 को बकाया	वृद्धि/ (निपटान) भागीदारी से अर्जित	व्यापार मूल्यांकन/ पुन- (छति)	पुन- मूल्यांकन/ को बकाया	31.03.2014 As at 31.3.2014	01.4.2013 को बकाया	वर्ष में मूल्यहास के कारण समायोजन	पुन- मूल्यांकन के लिए	निपटान के लिए	31.3.2014 को बकाया	31.3.2013 को बकाया	31.3.2014 को बकाया
	Balance as at 01.04.2013	Addition/ (Disposal)	Aquired through business combination	Revalu- ation/ (Impair- ment)	Balance As at 31.3.2014	Balance As at 01.4.2013	Depre- ciation charged for the year	Adjust- ment due to re- valuation	On Dispo- sals	Balance As at 31.3.2014	Balance As at 31.3.2013	Balance As at 31.3.2014
भूमि पट्टे पर Land - Lease Hold	20,002				20,002	6,090	210			6,300	13,912	13,702
भूमि स्वामित्व पर Land - Free Hold	28,989				28,989						28,989	28,989
सड़के एवं पुलियां Roads and Culverts	15,437				15,437	12,881	127			13,008	2,556	2,429
भवन Buildings	190,619				190,619	163,839	1,829			165,668	26,780	24,951
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewerage and Drainage	39,621				39,621	39,313	137			39,450	308	171
विविध उपकरण Misc. Equipments	7,210				7,210	7,142	33			7,175	68	35
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture & Office Appliances	2,485				2,485	2,437	4			2,441	48	44
संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर) Plant & Machinery (Computer)	293	50			343	134	53			187	159	156
विद्युत उपकरण संस्थापन-टाउनशिप Elect. Instt. Township	1,317				1,317	1,315	1			1,316	2	1
योग(ख)/Total (B)	305,973	50			306,023	233,151	2,394			235,545	72,823	70,478
योग(क+ख)/G. Total (A+B)	11,263,672	50	(2,272)		11,261,450	10,642,969	11,821		(2,159)	10,652,631	620,704	608,820

अनुसूची - 11

निवेश

NOTE - 11

INVESTMENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

31.03.2014 को 31.03.2013 को
As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

व्यापारोत्तर निवेश (अनिवेदित लागत पर)	Non-trade Investments (At cost-Unquoted)		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि. में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	15	15
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	Less : Provision for diminution in value of investments	10	10
		<u>5</u>	<u>5</u>

अनुसूची - 12
नकद एवं नकद के बराबर
NOTE - 12
CASH & CASH EQUIVALENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
(क) बैंक में शेष	(a) Balance with Banks				
चालू खाता-I	Current Account I			11,821	6,418
चालू खाता-II	Current Account II	544	544		
(सुख-सुविधा राशि)	(Amenities Fund)				
(ख) नकद हाथ में	(b) Cash in Hand				
प्रेषण मार्गस्थ में	Remittance in Transit			384	242
(ग) अन्य	(c) Others				
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts	6,024	5,603		
(सुख-सुविधा राशि)	(Amenities Fund)				
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts			370,419	358,400
नो लियन फ्लैक्सी	No Lien Flexi Depsoit				
जमा खाता	Account			114,660	175,340
नो लियन खाता	No Lien Account			235	38,519
डाकघर में बचत	Deposits with Post				
खाते में जमा	Office Savings Bank				
(उत्पाद शुल्क विभाग	Account (Pledged with				
के पास गिरवी)	Excise Deptt)	3,814	3,814		
		<u>10,382</u>	<u>9,961</u>	<u>497,519</u>	<u>578,919</u>

अनुसूची - 13

ऋण एवं अग्रिम

NOTE - 13

LOANS & ADVANCES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2014 को	31.03.2013 को	31.03.2014 को	31.03.2013 को
		As at 31.03.2014	As at 31.03.2013	As at 31.03.2014	As at 31.03.2013
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good				
(क) संबंधित पार्टियों (एस.सी.जी.)	(a) Loans & Advances to related parties(SCG)				
को ऋण एवं अग्रिम					
गृह निर्माण ऋण	House Building Loan	31	31		
अन्य किराया संबंधी देयताएँ	Other rental dues	942	1,041		
(ख) अग्रिम	(b) Advances				
पूर्तिकर्ता	Suppliers	12,378	12,378		
कर्मचारी	Employees	278	262	237	279
जमा	Deposits	867	867		
अन्य	Others	1,431	248	5,288	1,057
प्रतिबद्धता फीस (सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल.)	Commitment Fee (SAIL, CIL & EIL)	250,000	250,000		
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	-	-	416	399
किराये की देयता -	Rental dues - Shop-	23,836	13,899	1,761	1,379
दुकानदार, सरकारी बैंक, स्कूल आदि	keepers, PSU, Banks, School etc.				
पट्टे पर किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent - Ex-Employees	4,528	1,612		
किराया, पानी और विद्युत	Rent/Water & Elec.charges-PDIL	5,093	6,681		
शुल्क-पी.डी.आई.एल.					
पट्टे पर किराया - रेलवे साइडिंग	Lease Rent Railway siding			393	388
सरकारी प्राधिकरण/	Deposit with Govt.	56,370	55,415		
अन्य के पास जमा	Authorities/others				
जमा पर	Interest accrued on	64	58	20,967	22,039
उपार्जित ब्याज	deposits				
प्राप्ति योग्य राशि :	Accounts receivable	27,582	23,525		
आय कर	Income tax				
प्राप्ति योग्य राशि (एन.एफ.एल.)	Accounts receivable (NFL)	62	62		
		<u>383,462</u>	<u>366,079</u>	<u>29,062</u>	<u>25,541</u>
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	102,573	105,862	-	-
घटाएँ : संदिग्ध अन्य	Less- Provision for doubtful	102,573	105,862	-	-
ऋण, अग्रिम के लिये प्रावधान	other loans advances				
		<u>383,462</u>	<u>366,079</u>	<u>29,062</u>	<u>25,541</u>

अनुसूची - 14

वस्तु सूचियाँ

NOTE - 14

INVENTORIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2014 को	31.03.2013 को
		As at 31.03.2014	As at 31.03.2013
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर) घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	a. Raw Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	18,723 14,042 <u>4,681</u>	18,723 14,042 <u>4,681</u>
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर) घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	b. Packing Materials (valued at Cost) Less- Provision for obsolescence	3,359 3,359 <u>-</u>	3,359 3,359 <u>-</u>
ग. तैयार माल (कम लागत मूल्य पर/ निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	c. Finished goods (valued at lower of cost /net realisable value) Less- Provision for obsolescence	13 13 <u>13</u>	13 13 <u>13</u>
घ. स्टॉक व्यापार में	d. Stock in trade	<u>-</u>	<u>-</u>
ङ. स्टोर्स एवं स्पेयर्स (लागत मूल्य पर मूल्यांकित) मार्गस्थ सामग्री सामग्री निरीक्षण में घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	e. Stores & Spares (valued at Cost) Goods in transit Goods under inspection Less- Provision for obsolescence	570,220 4,662 27 424,404 <u>150,505</u>	570,220 4,662 27 424,404 <u>150,505</u>
च. अन्य मध्यवर्ती/अर्ध-तैयार माल (कम लागत मूल्य पर/निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) उपोत्पाद (निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित) घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान	f. Others Intermediate / Semi-finished good (valued at lower of cost/net realisable value) By product (valued at net realisable value) Scrap (valued at estimated realisable value) Less- Provision for obsolescence	- - <u>-</u> 14,430 14,430 <u>-</u> <u>155,186</u>	- - <u>-</u> 14,430 14,430 <u>-</u> <u>155,186</u>

अनुसूची - 15

व्यापारिक प्राप्ति योग्य

NOTE - 15

TRADE RECEIVABLES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

31.03.2014 को 31.03.2013 को
As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक समय से बकाया जो व्यापारिक प्राप्ति योग्य है।	Trade receivables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment		
सुरक्षित खरे समझे गये	Secured Considered Good	-	-
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured Considered Good	204	1,143
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	187,250	186,337
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less- Provision for Doubtful Debts	187,250	186,337
		<u>204</u>	<u>1,143</u>

अनुसूची - 16

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

NOTE - 16
CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

31.03.2014 को 31.03.2013 को
As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

(I) आकस्मिक देयताएं	(II) Contingent Liabilities		
कम्पनी के ऊपर दावे जिसे	Claims against the Company not		
ऋण नहीं माना गया है:	acknowledged as debt		
बिक्री कर के लिये माँग	Demand for Sales Tax	276,081	276,081
उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग	Demand for Excise Duty/Customs	38,391	38,391
बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका	Estimated amount of Contract remaining		
की अनुमानित राशि	to be executed	8,800	8,800
मध्यस्थ के पास/	Pending decision of Court / Under		
न्यायालय में लंबित निर्णय	Arbitration	119,408	157,466
सेवाकर की पुनर्वापसी	Reverse charge of Service Tax	911	911
कुल आकस्मिक देयताएं	Total Contingent Liabilities	443,591	481,649
(II) प्रतिबद्धता	(II) Commitments	-	-
		443,591	481,649

अनुसूची - 17

अन्य आय

NOTE - 17

OTHER INCOME

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
ब्याज से आय	Interest Income		
बैंक में जमा	Bank Deposits	15	4
लघु अवधि जमा	Short Term Deposits	48,876	50,166
लघु अवधि जमा (नो लियन खाता)	Short Term Deposits(No lien account)	2,062	2,873
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	Bank Deposits Workers Amenities Fund	467	455
घटाएं: कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थानांतरित	Less: Transfer to Workers Amenities Fund	(467)	(455)
अन्य आय अप्रचालन से	Other non-operating Income		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली	Recovery of Rent,Elec/Water charges	4,120	3,917
पट्टे के आवास के किराये की वसूली	Recovery of Lease Rent from Leased Accomodation	6,172	3,645
प्रतिबद्धता फीस	Commitment Fee	-	250,000
लाइसेंस फीस की वसूली	Recovery of Licence Fee	6,157	5,852
भूमि के किराये की वसूली	Recovery of Rent from Land	2,639	2,743
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस (रिलवे साइडिंग) की वसूली	Recovery of Licence Fee from ACC (Rly.Siding)	7,644	7,525
एन.एफ.एल. से प्राप्त मशीनरी का पट्टा किराया	Lease Rent of Machinery received from NFL	1,380	1,703
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Water charges received from PDIL	463	1,124
अन्य आय	Misc. Income	1,210	768
अन्य लघु आय	Other Petty Income	1,130	72
टेंडर फीस की वसूली	Recovery of Tender Fee	5	25
पंखों के लिये वसूली	Recovery for Fans	1	5
प्राप्त किया गया जुर्माना	Penalty Recovered	22	42
सिलेंडर के किराये से आय	Rental Income from Cylinder	483	483
वापस लिया गया अधिक का प्रावधान	Excess Provision written-back	51,479	173,965
बागवानी उत्पाद और सूखी लकड़ी (लम्बी) की बिक्री पर	Sale of Horticultural Products & dry logwoods	550	-
		<u>134,408</u>	<u>504,912</u>

अनुसूची - 18

कर्मचारियों के लाभ पर व्यय

NOTE - 18

EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	10,047	11,559
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	374	432
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	173	604
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	1,427	1,335
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	299	378
		<u>12,320</u>	<u>14,308</u>

अनुसूची - 19

वित्तीय लागत

NOTE - 19

FINANCE COSTS

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
अन्य ब्याज	Other Interest	36	1
		<u>36</u>	<u>1</u>

अनुसूची - 20

प्रशासनिक व्यय

NOTE - 20

ADMINISTRATIVE EXPENSES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
निदेशकों का शुल्क	Directors Fees	15	50
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity Charges & Water	16,140	13,277
किराया	Rent	600	600
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	13,280	12,466
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	47,548	49,749
बीमा	Insurance	383	378
दर एवं कर	Rates & Taxes	5,294	5,942
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to Retainers	5,998	5,540
वृत्तिक व्यय	Professional Expenses	3,901	5,074
ठेके के श्रमिकों पर व्यय	Contract Labour Expenses	6,430	5,654
पुनर्वास अध्ययन पर व्यय	Expenditure on Rehabilitation Study	223	-
विविध व्यय (फैक्ट्री)	Misc. Expenses (Factory)	1,026	997
विविध व्यय (प्रशासन)	Misc. Expenses (Admn.)	1,092	1,122
विविध व्यय (कम्प्यूटर)	Misc. Expenses (Computer)	58	57
किराये पर वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	957	1,181
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	11	15
बैंक प्रभार	Bank charges	28	35
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	News Papers & Periodicals	29	76
गैस्ट हाऊस व्यय	Guest House Expenses	207	113
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	519	499
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	82	79
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	672	682
यात्रा पर व्यय	Travelling Expenses	1,752	1,489
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running Expenses on Vehicles	581	564
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	143	73
अप्रचलित वस्तुओं के लिये प्रावधान	Provision for Obsolete Goods	-	434
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for Doubtful Debts	1,129	235
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assets	82	-
		108,180	106,381

अनुसूची - 21
लेखा परीक्षकों को भुगतान
NOTE - 21
PAYMENT TO AUDITORS

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fee	204	204
कर लेखा परीक्षा शुल्क	Tax Audit Fees	40	40
सेवा कर	Service Tax	30	30
		<u>274</u>	<u>274</u>

अनुसूची - 22
विशिष्ट मदें
NOTE - 22
EXCEPTIONAL ITEMS

		(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)	
		31.03.2014 को As at 31.03.2014	31.03.2013 को As at 31.03.2013
भारत सरकार से ऋण	GOI Loan	-	27,392,766
एल.आई.सी. गारंटी फीस	LIC Guarantee Fees	-	96,900
भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	Interest on GOI Loan	-	79,044,680
70% देयता की वापसी (ओ.टी.एस.)	Withdrawal of 70% Liability (OTS)	-	758,013
ऋण एवं ब्याज की वापसी (अन्य)	Withdrawal of Loan & Interest (others)	-	111,327
		<u>-</u>	<u>107,403,686</u>

अनुसूची - 23

पूर्व अवधि मदें

NOTE - 23

PRIOR PERIOD ITEMS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

31.03.2014 को 31.03.2013 को
As at 31.03.2014 As at 31.03.2013

व्यय	Expenditure		
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	16	27
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	-	8
बिजली एवं ईंधन	Power & Fuel	-	4,705
अन्य व्यय	Other Expenses	1,525	398
		<u>1,541</u>	<u>5,138</u>
आय	Income		
अन्य विविध आय	Other Misc. Income	119	465
		<u>119</u>	<u>465</u>
		<u>1,422</u>	<u>4,673</u>

अनुसूची - 1

NOTE - 1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का भाग है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2014.

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में, पिछली नीति की तुलना में, जिनका लगातार अनुसरण किया जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है।

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

There is no change in significant accounting policies as compared to previous policy which are consistently followed.

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं जो कि सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार हैं जिसे कम्पनी नियम 2006 (लेखा मानक) के साथ पढ़ा जाये। कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट, प्रकट करने की अपेक्षा को जहां तक संभव था अनुपालन किया गया है।

एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों के पुनरुज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय के लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Financial Statements are prepared on accrual basis under Historical Cost Convention and in accordance with generally accepted accounting principles in India and the provisions of the Companies Act 1956 read with Companies (Accounting Standard). The disclosure requirements as specified in the revised schedule VI to the Companies Act, 1956 have been complied with to the extent practicable.

Accounts have been finalized on the basis of not on going concern basis after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) dated 09.05.2013 on revival of closed units of FCIL.

II. राजस्व मान्यता

अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, आय/व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी गई है।

II. REVENUE RECOGNITION

Income / expenditure is recognised on accrual basis unless and otherwise stated.

III. स्थायी परिसम्पत्तियां

स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूरा होने तथा उपयोग में आने के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है।

III. FIXED ASSETS

Fixed Assets are stated at Historical Cost.

Assets are capitalized after they are certified to be complete and put to use.

अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रासंगिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।

उन मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, जिनका उपयोग अनियमित है तथा एक संयंत्र के साथ जुड़ा है, का पूंजीकरण लेखा मानक-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।

सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य ह्रासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

IV. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में घटत को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

V. मूल्यहास

5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यहासित कर दिया जाता है।

स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास (सेवामुक्त और निपटान के लिये रखी हुई को छोड़कर) कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित अनुसूची XIV में उपलब्ध दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के कुल लागत पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से लगाया जाता है।

Land given free of cost by State Governments and other authorities is capitalised at normal cost and / or on the basis of incidental expenditure as per guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.

Machinery spares whose use are expected to be irregular and could be identified with the plant are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard - 2 (Revised).

Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost & expenses could be measured reliably.

Retired Plant and Machinery and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value.

IV. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Declined, other than temporary, in the value of such investment, is recognised and provided for.

V. DEPRECIATION

Assets costing up to Rs.5000/- are fully depreciated in the year of addition.

Depreciation on fixed assets (other than retired and held for disposal) is charged up to the total cost of the assets on straight line method as per the rates prescribed in Schedule XIV of the Companies Act 1956.

सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्यहासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात ऋणमुक्त कर दिया जाता है।

VI. वस्तु सूचियां

वस्तु सूचियों की वर्तमान कीमत जिसमें कच्चा माल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स शामिल हैं, को लागत का 25% लिया गया है। तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपयोग योग्य भंडार, चिकित्सा भंडार एवं कबाड़ को लागत के 100% पर प्रावधान किया गया है। इस प्रकार वस्तुसूचियों के सभी मदों की कीमत लागत पर निकाला गया है जो कि, जहाँ भी लागू हो, अप्रचलन या घटत के प्रावधान के बाद निकाला गया है, केवल प्लेटिनम को छोड़ कर, जो कि स्टोर में प्लांट द्वारा बिना उपयोग के रखा हुआ है, जिसकी कीमत 175 लाख रुपये है और जिसके घटत के लिये प्रावधान नहीं किया गया था क्योंकि इस विशेष मद की कीमत बाजार में बढ़त वाली एवं परिवर्तनशील है।

VII. कर्मचारी लाभ

i. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि में अंशदान, देय बीमारी अवकाश, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

ii. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

Retired plant and Machinery and other assets are depreciated upto 95% of the original cost and 5% are shown in the books as residual value.

Lease hold land amortised over the period of lease.

VI. INVENTORIES

The current value of inventories including raw materials, stores and spares are considered at 25% of the cost. Inventories of finished goods, packing materials, chemicals, Catalysts and consume stores, medical stores and scrap at 100% of the cost. Thus, all the item of the inventories are valued at cost after providing for cost of obsolescence or depletion in the value wherever applicable exception to platinum which lying in stores as unconsumed by the plants. Valued at Rs.175 lakh for which no provision for depletion were made as because, particular item has its appreciable value in the market which is variable.

VII. EMPLOYEES BENEFITS

i. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity, salary, wages, contribution to provident fund, paid sick leave, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non monetary benefits like houses for current employees, are charged off in accounts as current expenditure.

ii. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e., contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made on actual basis and charged to Profit & Loss Statement.

VIII. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी के पुनरुज्जीवन के संबंध में सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं. 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ सी.सी.ई.ए. के निर्णय के सारांश को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

- i. मार्च 2012 तक का भारत सरकार के ऋण और ब्याज को माफ करने की स्वीकृति। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में लेखों से भारत सरकार के ऋण और ब्याज को हटा दिया गया है। अतः भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी।
- ii. एफ.सी.आई.एल. की निवल पूँजी को धनात्मक बनाने के लिये, पुनरुज्जीवन में भागीदार सरकारी उद्यमों, ई. आई.एल., सी.आई.एल. और सेल को वचनबद्धता फीस के 25 करोड़ रुपये एफ.सी.आई.एल. को देने के लिये निदेशन की स्वीकृति।
- iii. समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई.एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी। ये लेनदार सी.डब्लू.सी., एन.पी. डी.सी.एल., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल. और आई.ओ.सी. हैं।
- iv. मै. डी.वी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03.2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता को देना और 31.3.2003 से पूर्व लगाये गये ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना।

VIII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000 in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-1 dated 21 st May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 9th May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:

- i. Approved waiver of Gol loan and Interest upto March 2012. Accordingly, the Gol loan and interest have been withdrawn from the books in FY 2012-13. Hence there was no requirement to provide any interest on Gol loan.
- ii. Approved that direction be given to EIL, CIL & SAIL, the participating PSUs in the revival to make a payment of Rs. 25 crore towards commitment fee to FCIL to make the net worth of FCIL positive.
- iii. Approved OTS at 30% of their dues as per FCIL books of accounts, as agreed by them. These creditors are CWC, NPDCL, SCCL, BHEL, and IOC.
- iv. The dues of M/s DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31.3.2003 with waiver of any interest or penalty imposed before 31.3.2003.

- | | |
|--|---|
| <p>2. हमने सी.डब्ल्यू.सी., रामागुण्डम नगर निगम और यू.पी.पी. सी.एल. की पूरा और अंतिम समझौता के अंतर्गत उनकी देयता का 30% जो कि वर्ष 2013-14 के लेखों में उपलब्ध है, दे दिया है।</p> | <p>2. We have paid to CWC, Municipal Corporation of Ramagundam & UPPCL 30 % of their dues available in the books of accounts during the year 2013-14 towards full and final settlement of their dues.</p> |
| <p>3. सरकारी परिसमापक के पास जमा 5 करोड़ रुपये की स्थिति</p> <p>(i) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 11.8.2006 के आदेश के अनुसार कम्पनी ने 5 करोड़ रुपये जमा किये थे।</p> <p>(ii) यह राशि एक लाख रुपये तक के असुरक्षित लेनदारों के बकाया को देने के लिये जमा किया गया था। असुरक्षित लेनदारों की सूची सरकारी परिसमापक को भी उपलब्ध करायी गयी थी।</p> <p>(iii) कम्पनी का निवल मूल्य धनात्मक हो जाने के उपरान्त माननीय बी.आई.एफ.आर. ने 27.6.2013 की सुनवाई में कम्पनी को सिका 85/बी.आई.एफ.आर. के कार्यक्षेत्र से मुक्त करने का आदेश दिया था और सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के अनुसार कम्पनी का पुनरुज्जीवन किया जा रहा है।</p> <p>(iv) एफ.सी.आई.एल. के बी.आई.एफ.आर. के कार्यक्षेत्र से मुक्त हो जाने के कारण कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन किया था और माननीय न्यायालय ने 7.2.2014 के अपने आदेश में निदेशित किया है कि सरकारी परिसमापक द्वारा खर्च की गयी सारी राशि को काट कर, सरकारी परिसमापक के पास जमा शेष राशि निवेदक कम्पनी को वापस कर दिया जाये।</p> <p>(v) एफ.सी.आई.एल. ने अपने दिनांक 25.3.2014, 22.5.2014, 16.7.2014, 17.7.2014 और 22.7.2014 के पत्रों के द्वारा बकाया राशि को वापस करने तथा जिन्हें भुगतान कर दिया गया है उन पार्टियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में सरकारी परिसमापक से संपर्क बनाये रखा था।</p> | <p>3. Status of Deposit of Rs. 5 Crore with Official Liquidator</p> <p>i. As per the order of Hon'ble High Court of Delhi dated 11.08.2006 a sum of Rs. 5.00 Crore was deposited by the company.</p> <p>ii. The amount was deposited for clearing the dues of un-secured creditors whose claims were up to Rs.1.00 lakh. A list of un-secured creditors was also furnished to the office of official liquidator (OL).</p> <p>iii. Consequent upon the net worth of the company becoming positive, the Hon'ble BIFR in its hearing held on 27.06.2013 ordered de-registering of the company from the purview of SICA 85/ BIFR and is being revived with the approval of CCEA.</p> <p>iv. In view of the de-registration of the FCIL from purview of BIFR, the company moved an application before the Hon'ble High Court and Hon'ble Court vide orders dated 07.02.2014 has directed that the balance amount lying with the official liquidator be returned to the applicant company, after deducting all expenses incurred by Official Liquidator.</p> <p>v. FCIL has followed with the Official Liquidator office vide letters dated 25.03.2014, 22.05.2014, 16.07.2014, 17.07.2014 and 22.07.2014 to return the balance amount along with the list of parties to whom payment has been made.</p> |

(vi) सरकारी परिसमापक के कार्यालय को 17.7.2014 को जाकर कम्पनी के उन लेनदारों की सूची जिन्हें भुगतान कर दिया गया है, उन लेनदारों का नाम और भुगतान की गयी राशि की जानकारी उपलब्ध कराने के लिये निवेदन किया था। सरकारी परिसमापक से यह भी निवेदन किया गया था कि वर्ष 2006 से अब तक जमा राशि पर प्राप्त ब्याज का ब्यौरा भी उपलब्ध कराया जाये।

(vii) सरकारी परिसमापक के कथनानुसार आर.टी.जी.एस. का ब्यौरा उन्हें भेज दिया गया था ताकि उन्हें बकाया राशि को सीधे हमारे बैंकर को भेजने में सुविधा हो।

4. तीनों नामित सरकारी उद्यमों, सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल. द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता फीस की स्थिति

- i. एफ.सी.आई.एल. को वचनबद्धता फीस के 8.33 करोड़ रुपये के भुगतान के संबंध में तीनों कम्पनियों से निवेदन किया गया था।
- ii. एफ.सी.आई.एल. ने तीनों सरकारी उद्यमों से वचनबद्धता फीस के भुगतान करने के लिये निवेदन किया था ताकि इसे एफ.सी.आई.एल. की आय माना जा सके और निवल पूँजी को धनात्मक किया जा सके और इसी कारण इस राशि को एफ.सी.आई.एल. के लेखों में प्राप्त योग्य आय के रूप में दर्शाया गया है और वर्ष 2012-13 के लेखों का लेखा परीक्षा और उसे बन्द उसी आधार पर किया गया है तथा एफ.सी.आई.एल. की निवल पूँजी को धनात्मक दर्शाया गया है।
- iii. इस प्रकार बी.आई.एफ.आर. ने कम्पनी के लेखा परीक्षित लेखों तथा धनात्मक निवल पूँजी पर विचार किया तथा अपनी 27.6.2013 की सुनवाई में एफ.सी.आई.एल. को बी.आई.एफ.आर. के कार्यक्षेत्र से मुक्त करने का आदेश दिया।
- iv. सेल द्वारा प्रतिबद्धता फीस के 8.34 करोड़ रुपये एफ.सी.आई.एल. को देने के संबंध में स्टील मंत्रालय ने

vi. Office of the Official Liquidator was visited on 17.07.2014 and made a request to provide to the company a list of creditors to whom payment was made indicating the name of the creditors with amount paid. Official Liquidator was also requested to provide a statement indicating year wise interest credited on deposit right from the year, 2006 till date.

vii. As desired by Official Liquidator, RTGS details have been forwarded to them to facilitate the refund of balance amount through our banker directly.

4. Status of commitment fee to be paid by the three nominated PSUs namely SAIL, CIL & EIL

- i. As regards to payment of commitment fee all the three companies were requested to pay Rs.8.33 Crore to FCIL.
- ii. FCIL made a request to three PSUs to release the commitment fee to be considered as income to FCIL to make its net worth positive and therefore the amount has been shown as receivable income in the books of FCIL and the annual accounts for the year 2012-13 have been closed and audited accordingly, leading to positive net worth of FCIL.
- iii. Subsequently, BIFR considered the audited accounts and the positive net worth of the company and ordered for de-registration of FCIL from the purview of BIFR in their hearing held on 27.06.2013.
- iv. With regard to release of commitment fee of Rs.8.34 Crore by SAIL to FCIL, Ministry

उर्वरक विभाग को सूचित किया है कि सेल बोर्ड ने अपने दिनांक 30.5.2013 के बैठक में अग्रिम इक्विटी के 8.34 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है जो कि सेल द्वारा उसकी समनुषंगी सेल सिन्दरी प्रोजेक्ट लिमिटेड (एस.एस.पी.एल.) को देय है जो कि इस राशि को एफ.सी.आई.एल. को इस शर्त पर स्थांतरित करेगी कि स्टील प्लांट स्थापना के परित्याग की स्थिति में भारत सरकार इस राशि के वापसी की गारंटी देगी।

- v. चूँकि सेल से भुगतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी इसलिए सचिव (उर्वरक) ने सचिव (स्टील) के समक्ष इस विषय को 7.3.2014 को रखा कि सेल पर दबाव बनाया जाये कि वह एफ.सी.आई.एल. को भुगतान कर दे।
- vi. एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने अपने दिनांक 16.7.2014 के पत्र द्वारा इस विषय पर सेल के अ.प्र.नि. से अनुवर्ती कार्यवाही का प्रयास किया।
- vii. सिन्दरी एकक के पुनरुज्जीवन की स्थिति के संबंध में माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में 4.8.2014 को एक बैठक हुई जिसमें केन्द्रीय स्टील मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री (प्रभारी) और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सेल, प्लांट के लिये डी.एफ.आर. तैयार करे और अविलम्ब प्रस्तावित कार्य योजना के साथ आये। यह भी निर्णय लिया गया कि स्टील मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री अलग-अलग झारखंड के मुख्यमंत्री को सिन्दरी उर्वरक प्लांट के पुनरुज्जीवन और स्टील प्लांट के स्थापना के संबंध में भारत सरकार की स्वीकृति से अवगत करायेंगे तथा स्थानीय विषयों के संबंध में राज्य सरकार से सहयोग प्राप्त करेंगे। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सेल द्वारा एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

of Steel informed DOF that SAIL Board in its meeting held on 30.05.2013 approved the proposal for providing Rs.8.34 crore as advance against equity by SAIL to its subsidiary i.e. SAIL Sindri Project Ltd. (SSPL) which may in turn transfer the amount to FCIL subject to the condition that government gives the guarantee for refund of this amount in the event of the abandonment of the process for setting up steel plant.

- v. Since payment was not forthcoming from SAIL, Secretary (Fertilizer) took up the matter on 07.03.2014 with Secretary (Steel) to impress upon SAIL to release the payment to FCIL.
- vi. CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 16.07.2014 to CMD, SAIL.
- vii. Further, in the meeting held on 4.8.2014, under the chairmanship of Hon'ble Minister for Chemicals & Fertilizers regarding status of revival of Sindri Unit, which was also attended by the Union Steel Minister, Minister of State (In-charge), Petroleum & NG and other officials of various Ministries, it was emphasised that SAIL should prepare DFR for the plant and come out with the proposed Action Plan, at the earliest. It was also decided that Minister of Steel and MCF would take up separately with the Chief Minister, Jharkhand, regarding the approval of GoI for revival of Sindri Fertilizer Plant & setting up a Steel Plant and seeking the cooperation of the State Government regarding the local issues. It was also emphasised in the meeting the need of providing Commitment Fee by SAIL to FCIL, at the earliest.

- viii. ई.आई.एल. ने 25.6.2013 को संदेश दिया था कि उनके बोर्ड ने एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के 8.33 करोड़ रुपये देने स्वीकृति दे दी है। चूंकि अदायगी नहीं हो रही थी अतः सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव (एम.ओ.पी.एन.जी.) से बात की जिससे ई.आई.एल. पर दबाव डाला जा सके ताकि वह भुगतान कर दे।
- ix. एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने ई.आई.एल. के अ.प्र.नि. को 16.7.2014 के पत्र द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही का प्रयास किया है।
- x. चूंकि सी.आई.एल. से अदायगी नहीं हो रही थी अतः सचिव (उर्वरक) ने 7.3.2014 को सचिव (कोयला) से प्रतिबद्धता फीस एफ.सी.आई.एल. को भुगतान के लिये बात की जिससे सी.आई.एल. पर दबाव डाला जाये। सलाहकार (कोयला) ने 13.5.2014 को सूचित किया कि सी.आई.एल. बोर्ड ने अपनी 306 वीं बैठक में एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के भुगतान करने की स्वीकृति दे दी है।
- xi. एफ.सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. ने अपने दिनांक 16.7.2014 के पत्र द्वारा सी.आई.एल. के अ.प्र.नि. से अनुवर्ती कार्यवाही का प्रयास किया।
- xii. एफ.सी.आई.एल. ने दिनांक 18.7.2014 के द्वारा तीनों सरकारी उद्यमों से अनुरोध किया है कि एफ.सी.आई.एल. को प्रतिबद्धता फीस के भुगतान के संबंध में अपनी कम्पनी के बोर्ड मीटिंग के मद के संबंधित भाग की सत्यापित प्रतिलिपि एफ.सी.आई.एल. के सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रयोजन की लिये उपलब्ध कराये।
- xiii. इस संबंध में वर्तमान स्थिति यह है कि एफ.सी.आई.एल. द्वारा तीनों कम्पनियों को लगातार स्मरण कराने के बाद भी तीनों सरकारी उद्यमों में से किसी ने भी प्रतिबद्धता फीस नहीं दिया है।

ग. स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य

- i. कुल 6652.61 एकड़ भूमि में से बिहार (अब झारखंड) सरकार से निःशुल्क में प्राप्त 112 एकड़ का, लोक

- viii. EIL communicated on 25.06.2013 to DOF that their Board has approved the payment of Rs.8.33 Crore to FCIL as commitment fee. Since the payment was not forth coming, Secretary (Fertilizer) took up the matter on 07.03.2014 with Secretary, (MOPNG) to impress upon EIL to release the payment.
- ix. CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 16.07.2014 to CMD, EIL.
- x. Since payment from CIL was not forth coming, Secretary (Fertilizer) took up the matter on 07.03.2014 with Secy.(Coal) to impress upon CIL to pay the commitment fee to FCIL. Adviser (Coal) informed on 13.05.2014 that CIL Board has approved the payment of commitment fee to FCIL in their 306th meeting.
- xi. CMD, FCIL followed up the matter vide letter dated 16.07.2014 to CMD, CIL.
- xii. FCIL vide letters dated 18.07.2014 has requested all the three PSUs to provide certified copy of relevant extract of items of Board minutes of their company regarding payment of the commitment fee to FCIL for the perusal of Statutory Auditors of FCIL.
- xiii. Present status of the matter is that the commitment fee has not been released by any of the three PSUs inspite of repeated reminders given to the three companies by FCIL.

C. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

- i. Out of total land of 6652.61 acres, 112 acres received from State Govt. of Bihar now

उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार, कल्पित मूल्य 14.11 लाख रुपये लगाया गया है।

- ii. कोरबा में 907 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त 29 एकड़ पूर्ण स्वामित्व वाली और 7 एकड़ निजी भूमि एफ.सी.आई.एल. द्वारा अर्जित किया गया है। लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 258 एकड़ भूमि कम्पनी/उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ.सी.आई. दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरुज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से 'सुविधा पत्र' माँगा है।
- iii. लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार से निःशुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।
- iv. गोरखपुर में निगम को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान एफ.सी.आई.एल. द्वारा सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 332.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को उपहार स्वरूप दी गयी थी।
- v. रामागुण्डम में 1971 से 1989 तक के वर्षों में 1284.04 एकड़ भूमि उपलब्ध/प्राप्त हुई है। राज्य सरकार से निःशुल्क प्राप्त भूमि का मूल्यांकन 4.59 लाख रुपये के कल्पित मूल्य पर किया गया है। सरकारी उद्यम विभाग के दिशा निदेश के अनुसार लेखों में आरक्षित पूँजी के अंतर्गत प्रविष्टि डाल दी गयी है।

(Jharkhand) free of cost has been notionally valued at Rs. 14.11 lakh as per guidelines of Bureau of Public Enterprises.

- ii. Land measuring 907 acres of Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the state govt. In addition 29 acres of free hold and 7 acres of private land acquired by FCIL. However, in the year 2005 Govt. of Chhatisgarh has allotted 258 acres of land to Chhattisgarh Electricity Board without obtaining permission from the company/DOF vide DO NO.18021/02/2005-FCI dated 25.11.2011 DOF sought a letter of comfort from the Govt. Of Chhattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.
- iii. As per the guidelines of Department of Public Enterprises, land notionally valued at Rs. 18.64 lakh received free of cost from Govt. of Orissa was taken into books through capital reserve value.
- iv. At Gorakhpur, Govt. of Uttar Pradesh acquired and allotted to FCIL 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project out of which 40% of acquisition cost valued at Rs. 21.78 lakh had been paid to the government by FCIL and the balance 60% valued at RS.332.67 lakh was gifted to the company.
- v. At Ramagundam, 1284.04 acres of land is available / received in various years from 1971 to 1989. The land received from State Govt. free of cost notionally valued at Rs. 4.59 lakh. As per guidelines of DPE an entry of the same has been passed in the accounts through capital reserve.

- | | |
|--|---|
| <p>vi. तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू.पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू.पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।</p> <p>vii. नोएडा में एफ.सी.आई.एल. को 90 वर्ष के पट्टे पर 24 मई, 1989 को 4261.16 वर्ग मीटर के एक प्लाट का आवंटन किया गया था। यह प्लाट ए-11, सैक्टर-1, नोएडा में है। यह भूमि प्रत्यक्ष रूप में एफ.सी.आई.एल. के कब्जे में है।</p> <p>viii. डी.ओ.एफ. और एम.एच.ए. (गृह मंत्रालय) के बीच हुये दिनांक 5.2.2004 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर में कुछ भवन और मकान एस एस बी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है को हस्तांतरित किये थे। गृह मंत्रालय ने पहले संकेत दिया था कि उन्हें यह सम्पत्ति लम्बी अवधि के लिये नहीं चाहिए और वे इन सम्पत्तियों को खाली कर देंगे। एस.एस.बी. ने गोरखपुर यूनिट को नहीं छोड़ा है।</p> <p>ix. सिन्दरी में कुछ भवन और उपस्कर फिटिंग सहित जो कि वहाँ लगे हुये थे को सी.आर.पी.एफ. जो कि एम.एच.ए. के अंतर्गत है, को 7.2.2004 से 31.3.2007 तक, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर, सुरक्षित अभिरक्षण और उनके उपयोग के लिये हस्तांतरित किये गये थे। भारत सरकार ने एकक के पुनरुज्जीवन का निश्चय किया है। अतः एम.एच.ए. को भवन उपलब्ध नहीं किये जायेंगे। साथ ही, सी.आर.पी.एफ. ने भी छोड़ने का निश्चय कर लिया है तथा अधिकतर भवन वर्ष 2011-12 में खाली कर दिये हैं।</p> <p>x. पूँजीगत स्टोर्स (निवल मूल्य) का अवशिष्ट मूल्य 94.27 लाख रुपये वर्ष 2013-14 के लाभ-हानि लेखा में ले लिया गया है।</p> | <p>vi. At Talcher, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant in exchange of 344 quarters received from HWP under mutual agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.</p> <p>vii. At NOIDA, a plot measuring 4261.16 sq. mts. was allotted to FCIL on 24th May 1989 on lease basis for 90 years. The plot is located at A-11 Sector-1, NOIDA. The land is physically in the possession of FCIL.</p> <p>viii. At Gorakhpur certain building and quarters have been transferred to SSB in terms of MOU under Ministry of Home Affairs dated 5.2.2004 between DOF and MHA. MHA had indicated earlier that they would not need these properties on long term basis and they would vacate these properties. The SSB have not yet moved out of Gorakhpur Unit.</p> <p>ix. At Sindri certain buildings along with equipments and fittings installed thereon have been handed over to CRPF under MHA during the period 7.2.2004 till 31.3.2007 in terms of MOU dated 5.2.2004 entered between DOF and MHA for safe custody and use by them with an intension to transfer subject to approval of competent authority. Govt. of India has since decided to revive the Unit and hence MHA would not be provided with the buildings. Meanwhile, CRPF also decided to move out and most of the buildings have been vacated by CRPF during the year 2011-12.</p> <p>x. Entire residual value of capital stores (Net Value), Rs. 94.27 lakh, has been charged to statement of profit and loss during the year 2013-14.</p> |
|--|---|

घ. चालू देयताएं एवं प्रावधान

- i. चालू देयताओं में उन 17 कर्मचारियों के स्वेच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 214.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 257.12 लाख रुपये) शामिल हैं जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें कार्य की आवश्यकता के कारण 31.03.2014 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2014 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।
- ii. विविध लेनदार में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी.एस.एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगतान के संबंध में है।

ड. विविध

- i. निदेशक मंडल की राय है कि सामान्य व्यापार स्थिति में निगम के बाद होने/निपटान से चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।
- ii. निगम के बन्द होने के निर्णय के कारण निगम को लागत रेखा रिकार्ड उर्वरक नियम 1993 के अन्तर्गत रखे जाने वाले लागत रिकार्डों को बनाने से मुक्ति मिल गयी है तथा इसके लिये सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति अभी मिलनी बाकी है।
- iii. विविध देनदारों, लेनदारों, कर्मचारियों, ऋणदाता एवं अन्य से अधिशेषों की पुष्टि नहीं हुई है। लेखों में विसंगति, यदि कोई हो तो, के संबंध में अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता।

D. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

- i. Current liability includes an amount of Rs. 214.76 lakh (previous year Rs.257.12 lakh) in respect of VSS compensation for 17 employees, whose request for VSS has been accepted but they have not been released by 31.03.2014 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2014 will be accounted for after release of these employees.
- ii. Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakh in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947.

E. MISCELLANEOUS

- i. In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.
- ii. In view of the decision for stoppage of operation of fertilizer units of the Company, exemption for maintaining cost records, "Cost Accounting Records" under the Fertilizer Rules 1993, has been sought from appropriate authority, for which approval is yet to be received.
- iii. Balances of sundry debtors/creditors, employees and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on the account are not ascertainable.

- iv. बिक्री कर का निर्धारण (जो सुनवाई के लिये लंबित है को छोड़कर) 2009-10 तक पूरा कर लिया गया है।
- v. कार्पोरेट निर्धारण, वर्ष 2011-12 तक पूरा कर लिया गया है केवल उन्हें छोड़ कर जो अपील में अनिर्णीत हैं।
- vi. भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी.एस.एस. के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी.आई. एफ.आर. द्वारा जारी दिनांक 17.5.2004 के बन्द करने के संस्तुति के अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी इकाइयाँ अप्रचालन में रही हैं तथा वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
- vii. कोई प्रचालन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी द्वारा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम, माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आते हैं। अतः कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद VI के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी नहीं दी गयी है।

- iv. Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to 2009-10.
- v. Corporate Assessment is completed up to assessment year 2011-12 other than those which are pending under appeal.
- vi. In view of GOI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, all units remained non-operational during the year. Therefore, no physical verification of fixed assets & inventories could be carried out.
- vii. In the absence of any operational activity, the Company has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. Therefore, the desired disclosures as required under Schedule VI of Companies Act 1956 are not given.

च. संबंधित पार्टी विवरण

- (i) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक
 - 1) श्री सुशील कुमार लोहानी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 1.7.2014 से अब तक।
 - 2) श्री सतीश चन्द्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 12.7.2012 से 1.7.2014 तक।
 - 3) श्री सुशील पाल, निदेशक (वित्त), 18.7.2013 से अब तक।
 - 4) श्री एस. आनन्दन, निदेशक, 8.8.2011 से अब तक।
 - 5) श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक, 27.8.2012 से अब तक।

F. RELATED PARTY DISCLOSURES

- (i) Key Management Personnel:
 - 1) Shri Sushil Kumar Lohani, Chairman & Managing Director, w.e.f. 01.07.2014 till date.
 - 2) Shri Satish Chandra, C&MD, w.e.f. 12.07.2012 to 01.07.2014.
 - 3) Shri Sushil Pal, Director (Fin), w.e.f. 18.07.2013 till date.
 - 4) Shri S. Anandan, Director, w.e.f. 08.08.2011 till date.
 - 5) Shri Vijay Ranjan Singh, Director, w.e.f. 27.08.2012 till date.

- 6) श्रीमती टी सी ए कल्याणी, निदेशक (वित्त),
30.10.2008 से 18.07.2013 तक
- 7) डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक, बी. आई. एफ.
आर., 4.02.2011 से 27.06.2013 तक
- (ii) वह संस्थान जिन पर महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं :
- 1) मै. एच. एफ. सी. एल.
 - 2) मै. क्रिभको
 - 3) मै. आर. सी. एफ.
 - 4) मै. एफ. ए. सी. टी.
 - 5) मै. एन. एफ. एल.
- (iii) कम्पनी तथा संबंधित पार्टियों के कार्य व्यापार का ब्यौरा तथा 31.3.2014 को बकाया अधिशेष की स्थिति :
- | | | |
|--|---|--|
| क. एच.एफ.सी.एल. से वसूली योग्य | - इस वर्ष 148.81 लाख रुपये
पिछले वर्ष 148.81 लाख रुपये | (iii) Disclosure of transactions between the company and related parties and the status of outstanding balances as on 31.3.2014: |
| ख. एन. एफ. एल. से वसूली योग्य | - इस वर्ष 133.40 लाख रुपये
पिछले वर्ष 133.40 लाख रुपये | a) Recoverable from HFCL - Current Year-Rs.148.81 lakh
Previous Year-Rs.148.81 lakh |
| ग. एन. एफ. एल. से पट्टा किराया | - इस वर्ष 1.29 लाख रुपये
पिछले वर्ष 17.02 लाख रुपये | b) Recoverable from NFL - Current Year-Rs.133.40 lakh
Previous Year-Rs.133.40 lakh |
| घ. कृभको के अध्यक्ष द्वारा ए-14 एसियन खेल गाँव कम्पलैक्स, नई दिल्ली में अधिग्रहीत प्लैट का पट्टे पर प्राप्त किराया | - इस वर्ष 11.53 लाख रुपये
पिछले वर्ष 10.26 लाख रुपये | c) Lease rent recoverable from NFL - Current Year-Rs.1.29 lakh
Previous Year-Rs.17.02 lakh |
| ड. एन.एफ.एल. से प्राप्त पट्टा किराया | - इस वर्ष - 13.80 लाख रुपये
- पिछले वर्ष - 17.02 लाख रुपये | d) Lease rent received for the Flat at B-14, Asian Games Village Complex, New Delhi occupied by Chairman, KRIBHCO. - Current Year-Rs.11.53 lakh
- Previous Year-Rs.10.26 lakh |
| | | e) Lease rent received from NFL - Current Year-Rs.13.80 lakh
Previous Year-Rs.17.02 lakh |

छ. खण्डीय प्रतिवेदन

कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है।

G. SEGMENT REPORTING

In the absence of any operation by the Company, there are no separate segments to be reported.

ज. आय पर कर

सरकार के निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थगित कर को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, के कारण, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

झ. प्रति शेयर अर्जन

मूल : (+) 0.084
द्रवीय : (+) 0.084

ज. जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।

H. TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no probability of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, issued by the ICAI.

I. EARNING PER SHARE

Basic : (+) 0.084
Diluted : (+) 0.084

J. Previous year's figures have been regrouped / re-casted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.

नकद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:	
कर से पूर्व निवल लाभ	Net Profit before Tax	629
समायोजन के लिये:	Adjustment for :-	
मूल्यहास	Depreciation	11,821
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	36
ब्याज पर आय	Interest Income	(50,953)
देयताओं में कमी	Decrease in Liabilities	(73,527)
परिसम्पत्तियों के बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assets	113
विविध देनदारी में कमी	Decrease in Sy. Debtors	939
वस्तुसूचियों में कमी	Decrease in Inventories	-
ऋण एवं अग्रिम में बढ़त	Increase in Loan & Advances	(20,904)
		(132,476)
		(131,846)
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह	B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:	
ब्याज से आय	Interest Income	50,953
स्थायी परिसम्पत्तियों में बढ़त	Addition of Fixed Assets	(50)
		50,903
		(80,943)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह	C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :	
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	(36)
		(36)
		(80,979)

(जारी)/(Continued)

नकद प्रवाह विवरण (जारी)

CASH FLOW STATEMENT (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

आरम्भ में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at beginning	588,880
अन्त में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at the end	507,901
		<u>(80,979)</u>

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) में अधिसूचित लेखा मानक-3 के अनुसार उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति से बनाया गया है।

The above cash flow statement has been prepared under the indirect method set out in Accounting Standard-3 notified u/s 211 (3C) of the Companies Act, 1956.

यह हमारी इसी तिथि को रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह है।

This is the Cash Flow referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(सुशील पाल)/(Sushil Pal)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

ह०/- Sd/-
(सुशील कुमार लोहानी)/(Sushil Kumar Lohani)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director
हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date.
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366 N

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.08.2014

ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. 87722

